

अध्याय II  
बिक्री, व्यापार, आपूर्तियों, इत्यादि  
पर कर

## अध्याय-II: बिक्री, व्यापार, आपूर्तियों, इत्यादि पर कर

### 2.1 कर प्रशासन

राज्य के करदाताओं द्वारा संबंधित कानूनों के अन्तर्गत देय माल और सेवा कर/मूल्य परिवर्धित कर/केंद्रीय बिक्री कर/प्रवेश कर से प्राप्तियां सरकार के स्तर पर प्रमुख शासन सचिव (वित्त) द्वारा प्रशासित की जाती हैं। आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग (विभाग) का प्रमुख होता है और 23 अतिरिक्त आयुक्त, 46 उपायुक्त, 91 सहायक आयुक्त, 136 वाणिज्यिक कर अधिकारी, 405 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी और एक वित्तीय सलाहकार कार्य में सहायता प्रदान करते हैं। कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य सहायक कर्मचारियों द्वारा संबंधित कर कानूनों और नियमों के प्रशासन के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

### 2.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

वित्तीय सलाहकार आंतरिक लेखापरीक्षा समूह का प्रमुख होता है। इसमें 17 आंतरिक लेखापरीक्षा दल हैं। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान की गयी लेखापरीक्षा की स्थिति निम्न तालिका 2.1 में दर्शायी गयी है।

**तालिका 2.1**

वर्ष	बकाया इकाइयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिये बकाया इकाइयां	लेखापरीक्षा के लिये कुल बकाया इकाइयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयां			लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयां	लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयों का प्रतिशत
				पूर्व के वर्षों से सम्बंधित	चालू वर्ष से सम्बंधित	कुल		
2016-17	484	468	952	284	142	426	526	55
2017-18	526	468	994	385	141	526	468	47
2018-19	468	467	935	565	282	847	88	09
2019-20	88	467	555	324	162	486	69	12
2020-21	69	467	536	69	467	536	-	-

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना।

तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2020-21 के दौरान विभाग ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए लेखापरीक्षा के लिए बकाया सभी इकाइयों को कवर किया और 2016-17 में 55 प्रतिशत बकाया से 2020-21 में शून्य तक कम किया।

यह देखा गया कि 31 मार्च 2021 को आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 11,210 अनुच्छेद बकाया थे। वर्षवार विवरण निम्न तालिका 2.2 में दर्शाया गया है:

**तालिका 2.2**

वर्ष	2015-16 तक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	योग
वर्ष के दौरान की गई लेखापरीक्षा के बकाया अनुच्छेद	4,022	336	527	1,302	1,978	3,045	11,210

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना।

11,210 अनुच्छेदों में से 4,022 अनुच्छेद अनुपालन/सुधारात्मक कार्रवाई के अभाव में पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता को बढ़ाने और राजस्व संग्रह को अधिकतम करने हेतु विभाग आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों को कम करने के लिए एक ध्यानकेंद्रित हस्तक्षेप कर सकता है।

### 2.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

- वाणिज्यिक कर विभाग में 484 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां हैं, इनमें से लेखापरीक्षा ने 45 ईकाइयों, जिनमें 1.37 लाख कर निर्धारण किये गये, का वर्ष 2020-21 के दौरान नमूना जांच के लिये चयन किया।
- इनमें से, लेखापरीक्षा ने 4,668 (लगभग 3.41 प्रतिशत) कर निर्धारणों की नमूना जांच की तथा 462 प्रकरण (लेखापरीक्षा नमूनों का लगभग 9.9 प्रतिशत) में कर/ब्याज का कम आरोपण/अनारोपण/आगत कर जमा (आईटीसी) की अनियमित स्वीकृति, घोषणापत्रों के दुरुपयोग पर शास्ति का अनारोपण, निवेश अनुदान की अनियमित स्वीकृति, कर की गलत दर का लगाया जाना, जीएसटी के तहत रिफंड की अनियमित स्वीकृति, जीएसटी के तहत अधिक ट्रांजिशनल क्रेडिट दिया जाना एवं नियमों/अधिनियमों के प्रावधानों की अनुपालना न करने आदि के देस्ये गये जिनमें राशि ₹ 449.68 करोड़ शामिल थी।
- ये प्रकरण उदाहरण मात्र हैं, क्योंकि यह अभिलेखों की नमूना जांच पर आधारित हैं। लेखापरीक्षा में समान प्रकृति की कुछ त्रुटियां पूर्व वर्षों में भी दर्शाई गई थी, तथापि, न केवल ये अनियमितताएं बनी रही बल्कि आगामी लेखापरीक्षा तक ध्यान में नहीं आ सकी। सरकार को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

पाई गयी अनियमितताएं मुख्यतः नीचे दी गई तालिका 2.3 में निम्न श्रेणियों में आती हैं:

तालिका 2.3

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	कर का अवनिर्धारण	75	431.04
2	त्रुटिपूर्ण वैधानिक प्रपत्र स्वीकार करना	1	0.03
3	क्रय/विक्रय को छुपाने के कारण कर की अपवंचना	41	3.46
4	आगत कर को अनियमित/गलत/अधिक स्वीकृत करना	59	5.97
5	अन्य अनियमिततायें:		
	(i) राजस्व से संबंधित	275	9.01
	(ii) व्यय से संबंधित	11	0.17
	<b>योग</b>	<b>462</b>	<b>449.68</b>

वर्ष 2020-21 के दौरान, विभाग ने 602 प्रकरणों में ₹ 12.30 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें राशि ₹ 0.82 करोड़ के 70 प्रकरण वर्ष 2020-21 में लेखापरीक्षा के दौरान जबकि शेष प्रकरण पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020-21 के दौरान विभाग ने 248 प्रकरणों में ₹ 4.51 करोड़ वसूल/समायोजित किये,

जिनमें से राशि ₹ 0.82 करोड़ के 70 प्रकरण वर्ष 2020-21 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने के पश्चात (जुलाई 2020 और सितंबर 2020) दो व्यवहारियों से अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर और मुक्ति शुल्क के कम आरोपण के कारण ₹ 0.22 करोड़ की राशि स्वीकार की एवं वसूल/समायोजित की (मार्च 2021 और अगस्त 2021)। इन अनुच्छेदों की चर्चा इस प्रतिवेदन में नहीं की गई है।

अनुवर्ती अनुच्छेदों में ₹ 189.71 करोड़ से जुड़े कुछ उदाहरणात्मक मामलों की चर्चा की गई है। यह उल्लेख करना उचित है कि इनमें से अधिकतर मुद्दों को पहले उठाया जा चुका है और नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के पूर्व वर्षों के प्रतिवेदनों में प्रकाशित किया गया है जिसमें सरकार ने आक्षेपों को स्वीकार किया और कार्रवाई/वसूली शुरू की। तथापि, यह देखा गया है कि विभाग ने केवल उन्हीं मामलों में कार्रवाई की जो लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये गए थे तथा विभाग की आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने में विफलता से समान प्रकृति के प्रकरणों की आगामी वर्षों में पुनरावृत्ति हुई।

#### 2.4 कर का कम आरोपण

**कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर योग्य टर्नओवर के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप कर का कम आरोपण**

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (वैट) अधिनियम, 2003 की धारा 21 में प्रावधान है कि प्रत्येक पंजीकृत व्यवहारी इस अधिनियम के तहत अपने दायित्व का आंकलन करेगा, और ऐसी अवधि के लिए, ऐसे प्रारूप और रीति से, जैसा कि निर्धारित किया गया हो, निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को विवरणी प्रस्तुत करेगा। आगे, अधिनियम की धारा 23 में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक पंजीकृत व्यवहारी, जिसने धारा 21 के प्रावधानों के तहत वर्ष के लिए सभी विवरणियां प्रस्तुत कर दी हैं, धारा 24 के प्रावधानों के अधीन, ऐसी विवरणियों के आधार पर निर्धारण किया हुआ समझा जाएगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त, वृत्त-एच, जयपुर के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, यह पाया गया (जून 2020) कि एक व्यवहारी ने वर्ष 2016-17 के लिए अपनी वार्षिक विवरणी<sup>1</sup> में ₹ 131.02 करोड़<sup>2</sup> के माल का कर योग्य टर्नओवर<sup>3</sup> दर्शाया था। तथापि, कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, कर निर्धारण प्राधिकारी ने कर योग्य टर्नओवर का ₹ 90.00 करोड़ पर गलत निर्धारण किया। इस प्रकार, कम मूल्य पर कर योग्य टर्नओवर के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 41.02 लाख की राशि के कर का कम आरोपण हुआ।

1 वैट 10-ए

2 एक प्रतिशत पर कर योग्य।

3 राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 2 (40) के अनुसार।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। विभाग ने जवाब दिया (जुलाई 2021) कि ₹ 17.74 लाख पिछले वर्षों के आधिक्य आगत कर से समायोजित किये गये तथा ₹ 38.88 लाख<sup>4</sup> की मांग कायम की गयी। राज्य सरकार ने आगे सूचित किया (अगस्त 2021) कि वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2021)।

## 2.5 आगत कर की अनियमित छूट

**कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा रियायती मूल्य पर विक्रय किये गए माल पर अधिक आगत कर को रिवर्स करने में विफलता के कारण आगत कर की अनियमित अनुमत्यता**

वैट अधिनियम, 2003 की धारा 18 (3) (ए) के अनुसार इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी अन्य बात के होते हुए भी, जहां राज्य में स्वरीदे गए किसी भी माल को तत्पश्चात रियायती मूल्य पर बेचा जाता है, ऐसे माल के संबंध में इस उप-धारा के तहत स्वीकार्य आगत कर (इनपुट टैक्स) ऐसे माल पर देय निर्गत कर (आउटपुट टैक्स) से अधिक नहीं होगा।

तीन वृत्तों<sup>5</sup> के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया (सितम्बर/अक्टूबर 2020) कि बारह व्यवहारियों ने राज्य के भीतर माल क्रय किया तथा बाद में रियायती मूल्य पर विक्रय किया जिसके कारण इन वस्तुओं पर आगत कर निर्गत कर से अधिक हो गया। तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारी कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय, अधिक आगत कर जमा को रिवर्स करने में विफल रहे और व्यवहारियों द्वारा दावा किए गए आगत कर को ही अनुमत्य कर दिया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 43.75 लाख का अनियमित आगत कर अनुमत्य किया गया।

विभाग और राज्य सरकार को चूक के संबंध में अवगत कराया गया (जुलाई 2021)। सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2021) कि ग्यारह प्रकरणों में ₹ 16.77 लाख ब्याज के साथ ही कर राशि ₹ 46.17 लाख की मांग कायम की गई थी, जिसमें से आठ प्रकरणों में ₹ 24.15 लाख पिछले वर्षों के आधिक्य आगत कर से वसूल/समायोजित किये गये और ₹ 8.09 लाख एमनेस्टी योजना 2021 के तहत माफ किये गये, जबकि शेष प्रकरण में नोटिस जारी किया गया। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2021)।

## 2.6 प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण

**राजविस्टा पर उपलब्ध सूचना का उपयोग न करने के कारण विनिर्दिष्ट माल पर प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण**

स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 की धारा 3(1) के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2015 के अनुसार राज्य सरकार ने विनिर्दिष्ट माल के उपभोग या उपयोग या

4 ₹ 41.62 लाख एवं ब्याज ₹ 15.00 लाख पर संशोधित कर निर्धारण।

5 वृत्त: बी-सीकर, प्रथम-जयपुर एवं पी-जयपुर।

विक्रय हेतु स्थानीय क्षेत्र में लाने पर अधिसूचना में दर्शायी दर से व्यवहारी द्वारा देय कर को अधिसूचित किया।

सात वाणिज्यिक कर अधिकारियों<sup>6</sup> के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, यह देखा गया कि 23 व्यवहारियों ने वर्ष 2015-18 के दौरान राशि ₹ 54.66 करोड़ का अधिसूचना में विनिर्दिष्ट माल राज्य के बाहर से क्रय किया। आगे की जांच में पता चला कि व्यवहारियों ने अपनी सम्बंधित वैट विवरणियों में इस माल की बिक्री का उल्लेख नहीं किया था जो कि यह दर्शाता है कि माल का उपयोग, उपभोग हेतु या व्यवसाय में किया गया था जिसके कारण इस माल पर प्रवेश कर आरोपणीय था। माल के क्रय के संबंध में समस्त सूचना विभागीय वेब-आधारित एप्लीकेशन 'राजविस्टा' पर उपलब्ध थी और सभी कर निर्धारण अधिकारियों के लिए सुलभ थी। तथापि, संबंधित कर निर्धारण प्राधिकारियों ने इन व्यवहारियों के प्रवेश कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय उपलब्ध सूचना का उपयोग प्रवेश कर के आरोपण एवं राजस्व रिसाव को रोकने के लिए नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.81 करोड़ की राशि के प्रवेश कर तथा ₹ 1.02 करोड़ के ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण हुआ।

चूक को विभाग एवं राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया (सितम्बर 2021)। राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2021) कि 20 प्रकरणों में ₹ 1.88 करोड़ की मांग कायम की गई, जिसमें से ₹ 0.98 करोड़ की वसूली कर ली गई थी और 15 प्रकरणों में ₹ 0.52 करोड़ एमनेस्टी योजना 2021 के अंतर्गत माफ कर दिया गया था। इसके अलावा, तीन प्रकरणों में नोटिस जारी किए गए, जिनमें से दो व्यवहारियों ने बताया कि खरीदे गए माल को राज्य के भीतर ही बेच दिया गया था और इस माल पर वैट का भुगतान किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यवहारियों के 'फॉर्म सी'<sup>7</sup> से स्पष्ट है कि यह माल निर्माण में उपयोग के उद्देश्य से राज्य के बाहर से खरीदा गया था। इसके अलावा, इन व्यवहारियों में से एक के प्रकरण में, विक्रय इनवॉयस इंगित करता है कि विक्रय किये गए माल पर उत्पाद शुल्क संग्रहण किया गया था जो इस तथ्य की पुष्टि करता है कि खरीदे गए माल का निर्माण के लिए उपयोग किया गया था। इसलिए, इन दोनों व्यवहारियों के मामले में प्रवेश कर आरोपणीय था। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2021)।

## 2.7 'जीएसटी के अन्तर्गत प्रतिदाय (रिफंड) दावों के प्रसंस्करण' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

### 2.7.1 प्रस्तावना

समयबद्ध रिफंड तंत्र कर प्रशासन का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह मौजूदा व्यवसायों हेतु अवरुद्ध निधियों के निर्मोचन द्वारा कार्यशील पूंजी, उनके विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कानूनों का उद्देश्य दावों एवं स्वीकृति प्रक्रियाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन किये जाने के साथ ही रिफंड प्रक्रियाओं को

6 वृत्त-ई, एच, आई, क्यू, विशेष वृत्त-II, विशेष वृत्त-XI, जयपुर एवं वृत्त बी-सीकर।

7 'राजविस्टा' पर उपलब्ध

सुव्यवस्थित और मानकीकृत करना है। तथापि, जीएसटी कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण में, जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रिफंड मॉड्यूल की अनुपलब्धता के कारण, एक अस्थायी प्रणाली का अनुपालन किया गया था, जहां आवेदकों द्वारा फॉर्म जीएसटी आरएफडी-01ए में रिफंड आवेदन प्रस्तुत किया जाना था तथा उसी का प्रिंटआउट लिया जाकर सभी सहायक दस्तावेजों के साथ इसे क्षेत्राधिकारी के पास भौतिक रूप से जमा करवाया जाना था। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा रिफंड आवेदन पर आगे की कार्यवाही के लिए प्रक्रिया मैन्युअल बनी रही।

केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 54 से 58 व धारा 77, एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 15, 16 व 19 तथा राजस्थान राज्य माल और सेवा कर (आरजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 54 से 58 रिफंड के दावों और स्वीकृति के वैधानिक प्राधिकार प्रदान करती हैं।

### 2.7.1.1 रिफंड के लिए पात्र करदाताओं की श्रेणियां और रिफंड की शर्तें

करदाता द्वारा रिफंड का दावा निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न हो सकता है:

- (i) माल या सेवाओं का निर्यात;
- (ii) विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) इकाइयों एवं विकासकर्ताओं को आपूर्ति;
- (iii) माना गया (डीमंड) निर्यात;
- (iv) संयुक्त राष्ट्र या दूतावासों आदि द्वारा की गई स्वरीद पर करों का रिफंड;
- (v) अपीलीय प्राधिकारी, अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी न्यायालय के आदेश, निर्णय, डिक्री या निर्देश के कारण उत्पन्न होने वाला रिफंड;
- (vi) इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर/रिवर्स चार्ज मामलों के कारण जीएसटी के संचित आगत कर का रिफंड;
- (vii) अंतरिम निर्धारण का अंतिमीकरण;
- (viii) इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र में शेष राशि;
- (ix) पूर्व-जमा का रिफंड;
- (x) अधिक माल एवं सेवा कर का भुगतान;
- (xi) अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भारत में माल पर जीएसटी के भुगतान एवं भारत से उनके प्रस्थान के समय विदेश ले जाये जाने पर किया गया रिफंड;
- (xii) ऐसे अग्रिम जिनके एवज में माल या सेवाओं की आपूर्ति नहीं की गई है पर भुगतान किए गए करों के लिए रिफंड वाउचर जारी करने के कारण रिफंड;
- (xiii) आपूर्ति जिसे बाद में अंतर्राज्यीय आपूर्ति के रूप में रखा जाता है, को उसी राज्य की आपूर्ति के रूप में मानते हुए भुगतान किये गये सीजीएसटी और एसजीएसटी का रिफंड अथवा इसके विपरीत।

एक करदाता किसी भी अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के रिफंड का दावा कर सकता है यदि (i) कर के भुगतान के बिना की गई शून्य दर आपूर्ति; (ii) जहां इनपुट पर कर की दर

आउटपुट आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होने के कारण क्रेडिट संचित हुआ है। इसके अतिरिक्त, एक पंजीकृत व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में किसी भी शेष राशि के रिफंड का दावा कर सकता है तथा संयुक्त राष्ट्र संगठन या किसी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और संगठन, वाणिज्य दूतावास या विदेशों के दूतावास आदि की एक विशेष एजेंसी भी उसके द्वारा माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आवक आपूर्ति पर भुगतान किए गए कर के रिफंड का दावा कर सकती है।

**2.7.1.2** इलेक्ट्रॉनिक रिफंड प्रक्रिया 26 सितंबर 2019 से अस्तित्व में आई, जिसमें जीएसटी के तहत रिफंड दावों की प्रस्तुति और प्रसंस्करण को ऑनलाइन किया गया।

### **2.7.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य**

जीएसटी व्यवस्था के अन्तर्गत रिफंड प्रकरणों की लेखापरीक्षा निम्नलिखित के आंकलन के लिए निष्पादित की गई थी:

- (i) रिफंड के संबंध में जारी किए गए अधिनियमों, नियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों आदि की पर्याप्तता;
- (ii) कर प्राधिकारियों द्वारा मौजूदा प्रावधानों का अनुपालन और करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियों की प्रभावशीलता;
- (iii) क्या रिफंड आवेदनों के निपटान में विभागीय अधिकारियों के कार्य की जांच करने के लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र विद्यमान है।

### **2.7.3 लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र**

पैन-इंडिया जीएसटी रिफंड डेटा जीएसटीएन से प्राप्त किया गया था तथा जोखिम-आधारित डेटा विश्लेषण के माध्यम से विस्तृत जांच के लिए रिफंड प्रकरणों का एक सैम्पल लिया गया था। जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान (विभाग) के चयनित वृत्तों में संसाधित रिफंड प्रकरणों की जांच की गई। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार, जुलाई 2017 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान, राज्य में ₹ 3287.66 करोड़ की राशि के 31,229 रिफंड के दावे प्राप्त हुए, जिनमें से ₹ 2392.35 करोड़ के 26,398 दावों को विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया (दिसम्बर 2021)।

सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, मुख्य आयुक्त (सीसीटी) राज्य कर और विभाग के अन्य प्रतिनिधियों के साथ एक समापन परिचर्चा 20 जुलाई 2021 को आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। समापन परिचर्चा के दौरान राज्य सरकार द्वारा व्यक्त किए गए विचार और प्रारूप प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्तुत लिखित उत्तरों को संबंधित अनुच्छेदों में समुचित रूप से शामिल किया गया है।



#### 2.7.4 नमूना चयन एवं लेखापरीक्षा

जीएसटीएन ने जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक की अवधि के लिए पैन-इंडिया रिफंड डेटा प्रदान किया। 26 सितंबर 2019 से पहले की अवधि के लिए, अर्थात् पूर्व-स्वचालन अवधि के लिए, प्रत्येक श्रेणी के तहत रिफंड आवेदनों को करदाताओं द्वारा दावा की गई रिफंड राशि के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध किया गया। नमूने के चयन के लिए क्रमबद्ध किए गए रिफंड आवेदनों को चार चतुर्थकों में विभाजित किया गया।

26 सितंबर 2019 के बाद प्रस्तुत किए गए रिफंड आवेदनों का चयन करने के लिए, दावा की गई रिफंड राशि (60 प्रतिशत भारांक), रिफंड की स्वीकृति में विलम्ब (15 प्रतिशत), रिफंड की स्वीकृत राशि का रिफंड दावा राशि से अनुपात (10 प्रतिशत) एवं कमियों के लिये ज्ञापन जारी करना जैसे जोखिम मापदंडों का उपयोग करके एक समग्र जोखिम स्कोर तैयार किया गया। इस प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त जोखिम स्कोर के आधार पर, रिफंड आवेदनों का चयन किया गया।

उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर, 26 सितंबर 2019 से पहले दावा किए गए 93 वृत्तों से संबंधित 1193 रिफंड प्रकरणों का चयन किया गया (पूर्व-स्वचालन प्रकरण) जिनमें से कोविड 19 महामारी के कारण भौतिक आवाजाही पर प्रतिबन्ध होने के कारण 35 वृत्तों से संबंधित 491 प्रकरणों की जांच ही की जा सकी। 26 सितंबर 2019 के बाद की अवधि के लिए, 92 वृत्तों (स्वचालन पश्चात प्रकरणों) के 1,212 रिफंड प्रकरणों का चयन किया गया तथा राज्य जीएसटी पोर्टल<sup>8</sup> पर लॉगिन आईडी आधारित एक्सेस का उपयोग करके उनकी जांच की गई। इस प्रकार, चयनित वृत्तों में संसाधित किए गए 13,231 रिफंड प्रकरणों में से, इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) के लिए लेखापरीक्षा द्वारा कुल 1,703 मामलों (12.87 प्रतिशत) की जांच की गई। श्रेणी-वार लेखापरीक्षा यूनिवर्स और नमूना चयन **परिशिष्ट 2.1** में दर्शाये गये हैं।

#### 2.7.5 लेखापरीक्षा के मापदण्ड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित अधिनियमों, नियमों और उसके तहत जारी अधिसूचनाओं/परिपत्रों से लिए गए थे:

- (i) केंद्रीय माल और सेवाकर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017
- (ii) राजस्थान माल और सेवाकर (आरजीएसटी) अधिनियम, 2017
- (iii) केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017
- (iv) राजस्थान माल और सेवाकर नियम, 2017
- (v) एकीकृत माल और सेवाकर (आईजीएसटी) अधिनियम, 2017
- (vi) एकीकृत माल और सेवाकर नियम, 2017

8 बोवैब पोर्टल

### 2.7.6 लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

तालिका 2.4 विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित रिफंड के प्रकरणों में लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कमियों के विवरण को दर्शाती है।

तालिका 2.4

(₹ लाख में)

लेखापरीक्षा निष्कर्षों की प्रकृति	लेखापरीक्षा नमूने		पाई गई कमियों की संख्या		सैम्पल के प्रतिशत के रूप में कमियां
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
पावती जारी करने में विलम्ब	1,703	32,624.54	415	-	24.37
रिफंड आदेश जारी करने में विलम्ब	1,703	32,624.54	247	16.82	14.50
शून्य-दर आपूर्ति पर अंतरिम रिफंड की स्वीकृति में विलम्ब	607	16,844.83	57	-	9.39
इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अन्तर्गत अनियमित रिफंड	835	12,972.09	62	999.46	7.43
शून्य-दर आपूर्ति प्रकरणों में अनियमित रिफंड	607	16,844.83	16	35.98	2.64
शून्य-दर आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में अंतरिम रिफंड की अनियमित स्वीकृति	988	15,779.71	22	261.96	2.23

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा द्वारा 24 प्रतिशत प्रकरणों में पावती जारी करने में, 14 प्रतिशत प्रकरणों में रिफंड आदेश जारी करने में और 9 प्रतिशत प्रकरणों में शून्य-दर आपूर्ति में अन्तरिम रिफंड की स्वीकृति में उल्लेखनीय विलम्ब देखा गया।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों से विचलन भी देखा, जिसके परिणामस्वरूप इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, शून्य-दर आपूर्ति एवं शून्य-दर आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में अंतरिम रिफंड से संबंधित प्रकरणों में अनियमित रिफंड स्वीकृत किये गये; विचलन दो प्रतिशत से सात प्रतिशत के मध्य रहा।

उपरोक्त प्रकरणों के आधार पर दिये गये लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं पाई गई कमियों को आगामी अनुच्छेदों में शामिल किया गया है।

#### 2.7.6.1 पावती जारी करने में विलम्ब

सीजीएसटी/आरजीएसटी नियम, 2017 का नियम 90(1) और (2) वर्णित करता है कि उचित अधिकारी द्वारा यदि आवेदन हर प्रकार से पूर्ण है तो रिफंड दावा दाखिल करने के 15 दिवस के भीतर पावती जारी की जाएगी। स्वचालन-पूर्व के प्रकरणों में, 15 दिनों की निर्धारित अवधि की गणना सभी सहायक दस्तावेजों के साथ मैन्युअल रूप से रिफंड आवेदन जमा करने की तिथि से की जाएगी।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, चयनित वृत्तों में 13,231 रिफंड प्रकरणों को संसाधित किया गया, जिनमें से 1,703 रिफंड प्रकरणों की जांच की गई और यह पाया गया कि 415 प्रकरणों<sup>9</sup>

9 63 वृत्तों से संबंधित।

(24.37 प्रतिशत) में पावती जारी करने में 1 से 272 दिनों तक का विलम्ब हुआ तथा इन प्रकरणों में औसत विलम्ब 25.61 दिन रहा। इनमें से 388 प्रकरणों में 1 से 3 महीने का, 23 प्रकरणों में 3 से 6 महीने का तथा चार प्रकरणों में छह महीने से अधिक का विलम्ब हुआ। इस प्रकार, विभाग उक्त नियमों में निर्धारित पावती जारी करने की समय-सीमा का पालन करने में विफल रहा।

प्रकरण विभाग व राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। सरकार ने लेखापरीक्षा आक्षेप को स्वीकार किया (जुलाई 2021) और कहा कि 17 वृत्तों<sup>10</sup> (151 प्रकरणों) में जीएसटी पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं के कारण विलम्ब हुआ तथा आठ वृत्तों<sup>11</sup> (32 प्रकरणों) में विलम्ब का कारण कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन लागू होना था।

एक वृत्त<sup>12</sup> से संबंधित सात प्रकरणों के संबंध में सरकार ने अवगत करवाया कि रिफंड आवेदन की पावती जारी करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप रिफंड जारी करने में विलम्ब नहीं हुआ है। तथ्य यह है कि विभाग उक्त नियमों में निर्धारित पावती जारी करने की समय-सीमा का पालन करने में विफल रहा।

समापन परिचर्चा के दौरान, आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार किया और कहा कि यद्यपि पावती जारी करने में विलम्ब हुआ था, तथापि रिफंड निर्धारित अवधि के भीतर जारी किए गए थे।

37 वृत्तों से संबंधित 225 प्रकरणों में उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2021)।

*(संदर्भ परिशिष्ट 2.2 एवं 2.3)*

#### **2.7.6.2 रिफंड आदेश जारी करने में विलम्ब**

सीजीएसटी/ आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54(5) और (7) के अनुसार उचित अधिकारी आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 60 दिवस के भीतर रिफंड की स्वीकृति प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 56 के अनुसार, यदि किसी आवेदक को धारा 54 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत किसी कर के रिफंड का आदेश किया गया है एवं साठ दिवस की अवधि के भीतर उसका रिफंड नहीं किया जाता है, तो ऐसे रिफंड के संबंध में ऐसी दर, जो सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट कि गयी हो, तथा छह प्रतिशत से अधिक नहीं हो, पर ब्याज देय होगा।

लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि जांच किए गए 1,703 रिफंड प्रकरणों में से 247 प्रकरणों<sup>13</sup> (14.50 प्रतिशत) में, रिफंड की स्वीकृति में 1 से 522 दिन तक का विलम्ब हुआ तथा इन प्रकरणों में औसत विलम्ब 81.38 दिनों का था। इनमें से 172 प्रकरणों में 1 से 3 महीने का,

10 वृत्त ए, सी, आई, जे, के, एल, क्यू, पी एवं विशेष III जयपुर, ए भीलवाड़ा, किशनगढ़, नागौर, वृत्त बी, सी, डी एवं एफ जोधपुर तथा ए भिवाड़ी।

11 वृत्त आई, जे, एन व विशेष III जयपुर, ए व सी भीलवाड़ा, ए भरतपुर, एवं शाहजहाँपुर।

12 वृत्त बी कोटा

13 57 वृत्तों के संबंध में।

41 प्रकरणों में 3 से 6 महीने का तथा 34 प्रकरणों में छह महीने से अधिक का विलम्ब हुआ। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा ₹ 16.82 लाख<sup>14</sup> के ब्याज, जो इन सभी प्रकरणों में दावेदारों को देय था, का भुगतान नहीं किया गया।

प्रकरण विभाग व राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। सरकार ने लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार किया (जुलाई 2021) और कहा कि सोलह वृत्तों<sup>15</sup> (83 प्रकरणों) में जीएसटी पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं और आठ वृत्तों<sup>16</sup> (बाईस प्रकरणों) में कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन लागू होने के कारण विलम्ब हुआ। ब्याज का भुगतान न करने के संबंध में, सरकार ने दो प्रकरणों (एक वृत्त)<sup>17</sup> के लिए कहा कि करदाताओं द्वारा विलम्ब के लिए कोई ब्याज का दावा नहीं किया गया था एवं दो प्रकरणों (एक वृत्त)<sup>18</sup> के लिए बताया गया था कि करदाताओं द्वारा लिखित में अनुरोध किया गया था कि वे ब्याज का दावा नहीं करना चाहते हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीजीएसटी/ आरजीएसटी अधिनियम की धारा 56 के अनुसार करदाता द्वारा दावा किए जाने पर निर्भरता बिना, विलम्ब से जारी रिफंड आदेशों के मामलों में ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य है। एक प्रकरण (एक वृत्त)<sup>19</sup> में, सरकार ने कहा कि चूंकि करदाता द्वारा गलत बैंक खाता दिया गया था अतः ब्याज का भुगतान नहीं किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ब्याज का भुगतान उसी खाते में किया जा सकता था जिसमें रिफंड का भुगतान किया गया था। 24 वृत्तों के 105 प्रकरणों में ब्याज का भुगतान न करने पर सरकार का उत्तर मौन था।

समापन परिचर्चा के दौरान, आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा लेखापरीक्षा तर्क से सहमति व्यक्त की गई तथा कहा गया कि सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि निर्धारित समय सीमा का पालन किया जावे।

30 वृत्तों से संबंधित 137 मामलों के उत्तर प्रतीक्षित थे (दिसंबर 2021)।

*(संदर्भ परिशिष्ट 2.4 और 2.5)*

### **2.7.6.3 शून्य-दर आपूर्ति के प्रकरणों में अंतरिम रिफंड की स्वीकृति में विलम्ब**

सीजीएसटी/ आरजीएसटी नियम, 2017 के नियम 91 के प्रावधानानुसार शून्य-दर आपूर्ति के संबंध में दावा किए गए कुल रिफंड के 90 प्रतिशत की सीमा तक अंतरिम रिफंड राशि का कुछ शर्तों के अधीन पावती के सात दिवस के भीतर भुगतान किया जायेगा।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, चयनित वृत्तों में शून्य-दर आपूर्ति के 5,013 रिफंड प्रकरणों को संसाधित किया गया था। इनमें से 607 रिफंड प्रकरणों की जांच की गई और यह देखा गया कि

14 छह प्रतिशत की दर से गणना की गई।

15 वृत्त ए, सी, एफ, आई, जे, के, एल, पी, एम, एन एवं विशेष III जयपुर, वृत्त ए भिवाड़ी, वृत्त झालावाड़, वृत्त शाहजहाँपुर, वृत्त ए भरतपुर एवं वृत्त बी कोटा।

16 वृत्त सी, जे, एल, क्यू एवं स्पेशल- III जयपुर, वृत्त ए एवं बी भरतपुर व स्पेशल I, भिवाड़ी।

17 वृत्त डी, जोधपुर।

18 वृत्त ए, जयपुर।

19 वृत्त , दौसा।

57 प्रकरणों<sup>20</sup>(9.39 प्रतिशत) में अंतरिम रिफंड की स्वीकृति में 1 से 324 दिनों तक का विलम्ब हुआ एवं इन मामलों में औसत विलम्ब 29.85 दिनों का था। इनमें से 55 प्रकरणों में 1 से 3 महीने का, एक प्रकरण में 3 से 6 महीने का तथा एक प्रकरण में छह महीने से अधिक का विलम्ब हुआ। इस प्रकार, विभाग उक्त नियम में निर्धारित शून्य दर आपूर्ति के लिए अंतरिम रिफंड स्वीकृत करने की समय-सीमा का पालन करने में विफल रहा।

प्रकरण विभाग व राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। सरकार ने लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार किया (जुलाई 2021) और कहा कि छह वृत्तों<sup>21</sup> (30 प्रकरणों) में विलम्ब जीएसटी पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं के कारण हुआ था। समापन परिचर्चा के दौरान, आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने लेखापरीक्षा तर्क से सहमति व्यक्त की और कहा कि सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्धारित समय सीमा का पालन किया जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

नौ वृत्तों से संबंधित 27 प्रकरणों का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2021)।

(संदर्भ परिशिष्ट 2.6 और 2.7)

#### 2.7.6.4 इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंतर्गत अनियमित रिफण्ड

सीजीएसटी/आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 (3) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति किसी भी अप्रयुक्त आईटीसी के रिफंड का दावा, जहां आगत पर कर की दर निर्गत आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होने (अर्थात् इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर) के कारण क्रेडिट का संचय हुआ है, किसी भी कर अवधि के अंत में कर सकता है। इसके अतिरिक्त, सीजीएसटी 2017 का नियम 89(5) इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण अप्रयुक्त आईटीसी के अधिकतम रिफंड के लिए फॉर्मूला<sup>22</sup> निर्धारित करता है जिसमें 'नेट आईटीसी' में संबंधित अवधि के दौरान केवल आगत पर प्राप्त आईटीसी शामिल है और इसमें आगत सेवाओं और पूंजीगत माल पर प्राप्त किया गया क्रेडिट शामिल नहीं है।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, चयनित वृत्तों में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के 3,845 रिफंड प्रकरणों को संसाधित किया गया था। इनमें से 835 रिफंड प्रकरणों की जांच की गई और यह देखा गया कि विभाग ने 24 प्रकरणों<sup>23</sup>(2.87 प्रतिशत) में रिफंड स्वीकृत करते समय, आगत सेवाओं एवं पूंजीगत माल पर प्राप्त आईटीसी को नेट आईटीसी की गणना करने के लिये शामिल किया अथवा गलत कुल समायोजित टर्नओवर/इनवर्टेड ड्यूटी टर्नओवर/कर भुगतान को रिफंड की अधिकतम राशि की गणना हेतु लिया। यह क्षेत्राधिकारियों द्वारा रिफण्ड दावों की उचित जाँच में

20 15 वृत्तों के संबंध में।

21 वृत्त सी, एन व क्यू जयपुर, वृत्त शाहजहांपुर, वृत्त किशनगढ़ और वृत्त सी जोधपुर।

22 अधिकतम रिफंड राशि = {(माल और सेवाओं की इनवर्टेड रेटेड आपूर्ति का टर्नओवर) \* (नेट आईटीसी/समायोजित कुल टर्नओवर)} - माल एवं सेवाओं की ऐसी इनवर्टेड रेटेड आपूर्ति पर देय कर।

23 13 वृत्तों से संबंधित।

कमी को इंगित करता है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.09 करोड़ का अनियमित रिफंड स्वीकृत किया गया।

प्रकरण विभाग व राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। सरकार ने अवगत कराया (जुलाई 2021) कि चार प्रकरणों<sup>24</sup> में ₹ 10.24 लाख की वसूली की गई है जबकि सात प्रकरणों<sup>25</sup> में नोटिस जारी किए गए हैं। एक वृत्त से संबंधित तीन प्रकरणों<sup>26</sup> के लिए सरकार ने अवगत कराया कि करदाताओं द्वारा सेवाओं अथवा पूंजीगत माल पर आईटीसी का दावा नहीं किया गया है। इन तीन प्रकरणों के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि करदाताओं द्वारा प्रस्तुत विवरणियों में वर्णित विवरण यथा इनवर्टेड टर्नओवर/2ए के अनुसार आईटीसी/समायोजित टर्नओवर, रिफंड दावों के विवरण से मेल नहीं खाते हैं तथा रिफंड के दावों में सेवाओं पर आईटीसी भी शामिल है, जिसके कारण स्वीकृत रिफंड देय रिफंड की अधिकतम राशि से अधिक था। दो प्रकरणों<sup>27</sup> के लिए, यह बताया गया कि रिफंड का दावा संबंधित अवधि के भीतर किया गया है। उत्तर उचित नहीं है क्योंकि इन प्रकरणों में अनियमितता इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंतर्गत आईटीसी के अनियमित रिफंड से संबंधित है। समापन परिचर्चा के दौरान, सचिव वित्त (राजस्व) ने बताया कि विभाग द्वारा आईटी प्रणाली में आगत सेवाओं और पूंजीगत माल पर आईटीसी को पृथक करने के लिए सत्यापन जांच प्रस्तावित करने का मामला उठाया जायेगा।

तीन वृत्तों से संबंधित आठ प्रकरणों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2021)।

**(संदर्भ परिशिष्ट 2.8 और 2.9)**

उदाहरणस्वरूप एक प्रकरण नीचे दिया गया है:

वृत्त 'के' जयपुर में रिफंड दावों के प्रसंस्करण की नमूना जांच के दौरान, यह देखा गया कि एक करदाता द्वारा जून 2019, सितंबर 2019 और जनवरी 2020 के महीनों के लिए कुल ₹ 6.12 करोड़ के अलग-अलग रिफंड दावे किए गये थे। अभिलेखों की जांच से पता चला कि करदाता द्वारा अपने रिफंड आवेदनों में दावा की गई नेट आईटीसी, करदाता के जीएसटीआर-2 ए में आईटीसी के विवरण से सुमेलित नहीं थी। करदाता के जीएसटीआर-2 ए में दिए गए विवरण से यह भी स्पष्ट था कि करदाता द्वारा पूंजीगत माल और सेवाओं की आईटीसी का अनियमित रूप से लाभ लिया गया। इसके अतिरिक्त, करदाता द्वारा कुल आईटीसी में से पूंजीगत माल तथा/अथवा आगत सेवाओं पर आईटीसी को अलग करने के लिए रिफंड आवेदन के साथ आवश्यक एचएसएन कोड युक्त परिशिष्ट-बी प्रस्तुत नहीं किया गया। विभाग द्वारा अनियमितताओं का पता नहीं लगाया गया तथा करदाता द्वारा दावा किए गए रिफंड को स्वीकृत

24 वृत्त सी जयपुर (₹ 0.12 लाख), वृत्त जी जयपुर (₹ 0.17 लाख), वृत्त बी अजमेर (₹ 9.64 लाख) एवं वृत्त सी जोधपुर (₹ 0.31 लाख) से संबंधित।

25 वृत्त पी, एल एवं सी जयपुर, वृत्त ए भिवाड़ी एवं वृत्त नागौर से संबंधित।

26 वृत्त के जयपुर।

27 वृत्त जी जयपुर।

कर दिया गया, जिसके कारण स्वीकृत रिफंड, अधिकतम रिफंड योग्य राशि से अधिक हो गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.08 करोड़ की राशि का अनियमित रिफंड स्वीकृत किया गया।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। राज्य सरकार ने बताया (जुलाई 2021) कि करदाता द्वारा अब एचएसएन कोड के साथ परिशिष्ट-बी प्रदान किया गया है। सरकार ने यह भी बताया कि करदाता द्वारा प्राप्त आईटीसी जीएसटीआर-2ए से मेल खाती है तथा करदाता ने पूंजीगत माल और सेवाओं पर आईटीसी का दावा नहीं किया है, जिसके कारण कोई अनियमित रिफंड स्वीकृत नहीं किया गया है।

जबकि सरकार द्वारा उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया, सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जीएसटीआर-2ए से स्पष्ट है कि करदाता को उपलब्ध नेट आईटीसी की गणना में पूंजीगत माल और सेवाओं पर आईटीसी को शामिल किया गया था तथा इसके अतिरिक्त जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध आगत कर, रिफंड आवेदनों से मेल नहीं खाता था, जिन्हें बाद में स्वीकृत किया गया था। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2021)।

#### 2.7.6.5 शून्य-दर आपूर्ति के प्रकरणों में अनियमित रिफंड

सीजीएसटी/आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54(3) के अनुसार, किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अप्रयुक्त आईटीसी के रिफंड का दावा किसी भी कर अवधि के अंत में किया जा सकता है। माल या सेवाओं की शून्य-दर आपूर्ति के प्रकरणों में सीजीएसटी/आरजीएसटी नियम, 2017 के नियम 89(4) के अंतर्गत निर्धारित फार्मूले<sup>28</sup> के अनुसार रिफंड दिया जाएगा। फॉर्मूले के अनुसार, पूंजीगत माल पर प्राप्त आईटीसी को शामिल नहीं किया जावेगा।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, चयनित वृत्तों में शून्य दर आपूर्ति से संबंधित 5,013 रिफंड प्रकरणों को संसाधित किया गया था। इनमें से 607 रिफंड प्रकरणों की जांच की गई और यह पाया गया कि 16 प्रकरणों<sup>29</sup> (2.63 प्रतिशत) में, क्षेत्राधिकारियों ने नेट आईटीसी की गणना के लिए पूंजीगत माल पर प्राप्त आईटीसी को अलग नहीं किया या गलत कुल समायोजित टर्नओवर/शून्य दर टर्नओवर/ नेट आईटीसी/2ए रिटर्न का अंतर, देय रिफंड की अधिकतम राशि की गणना में लिया। इस प्रकार, रिफंड दावों को संसाधित करते समय क्षेत्राधिकारियों द्वारा निर्धारित फार्मूले को सही तरह से प्रयोग करने के अभाव में ₹ 35.98 लाख का अनियमित रिफंड स्वीकृत किया गया।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। सरकार ने अवगत कराया (जुलाई 2021) कि चार प्रकरणों<sup>30</sup> में ₹ 7.90 लाख की वसूली की गई तथा पांच

28 रिफंड राशि = (माल की शून्य-दर आपूर्ति का टर्नओवर + सेवाओं की शून्य-दर आपूर्ति का टर्नओवर) \* नेट आईटीसी/समायोजित कुल टर्नओवर, जहां "नेट आईटीसी" का अर्थ संबंधित अवधि के दौरान इनपुट और इनपुट सेवाओं पर प्राप्त आईटीसी है।

29 10 वृत्तों से संबंधित।

30 वृत्त जे जयपुर से संबंधित (₹ 3.55 लाख) वृत्त विशेष- I अजमेर (₹ 4.18 लाख) एवं वृत्त सी जयपुर (₹ 0.17 लाख)।

प्रकरणों<sup>31</sup> में नोटिस जारी किए गए। समापन परिचर्चा के दौरान, विशेष आयुक्त (जीएसटी) ने लेखापरीक्षा तर्क से सहमति व्यक्त की।

चार वृत्तों से संबंधित सात प्रकरणों में उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2021)।

**(संदर्भ परिशिष्ट 2.10 और 2.11)**

उदाहरणास्वरूप एक प्रकरण नीचे दिया गया है:

वृत्त-एल जयपुर में रिफंड दावों के प्रसंस्करण की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि एक करदाता द्वारा मई 2018 से दिसंबर 2018 की अवधि के लिए शून्य-दर निर्यात के कारण संचित आगत कर पर ₹ 12.21 लाख के रिफंड का दावा किया गया। संबंधित अभिलेखों की जांच से पता चला कि शून्य-दर निर्यात इस अवधि में केवल मई 2018 के महीने के दौरान किया गया था। इसलिए, जून 2018 से दिसंबर 2018 की अवधि के लिए संचित आगत कर रिफंड योग्य नहीं था। तथापि, विभाग द्वारा अनियमितता का पता नहीं लगाया गया तथा करदाता द्वारा दावा किए गए रिफंड को स्वीकृत कर दिया गया जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 8.25 लाख की राशि के रिफंड की अनियमित स्वीकृति दी गई। प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। सरकार ने बताया (जुलाई 2021) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया है। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2021)।

#### **2.7.6.6 शून्य-दर आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में अंतरिम रिफंड का अनियमित भुगतान।**

सीजीएसटी/आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54(6) के अनुसार, पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा शून्य दर आपूर्ति के कारण माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों के रिफंड के लिए किसी भी दावे के मामले में, दावा किए गए रिफंड की राशि का 90 प्रतिशत अंतरिम आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है तथा उसके बाद आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के उचित सत्यापन के पश्चात रिफंड दावे के अंतिम निपटान के लिए उप धारा (5) के अंतर्गत आदेश जारी किया जावेगा।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, चयनित वृत्तों में शून्य-दर आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य 6,824 रिफंड प्रकरणों को संसाधित किया गया था। इनमें से 988 रिफंड मामलों की जांच की गई और यह पाया गया कि 22 मामलों<sup>32</sup> (2.23 प्रतिशत) में विभाग द्वारा इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से संबंधित प्रकरणों में 90 प्रतिशत का अंतरिम रिफंड जारी किया गया। इस प्रकार, उक्त प्रावधान के उल्लंघन में शून्य-दर आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में अंतरिम रिफंड स्वीकृति के कारण ₹ 2.62 करोड़ के अंतरिम रिफंड का अनियमित भुगतान हुआ।

प्रकरण विभाग व राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। सरकार ने नौ प्रकरणों<sup>33</sup> के संबंध में बताया (जुलाई 2021) कि नियमानुसार रिफंड स्वीकृत किया गया था। तथापि,

31 वृत्त सी जयपुर, वृत्त ए भीलवाड़ा एवं वृत्त एल जयपुर से संबंधित।

32 सात वृत्तों से संबंधित।

33 विशेष वृत्त-III, जयपुर।



रिफंड नियमों के अनुसार स्वीकृत नहीं किया गया था क्योंकि इन प्रकरणों में अंतरिम रिफंड प्रदान किया गया था, जबकि ये प्रकरण शून्य-दर आपूर्ति की श्रेणी से संबंधित नहीं थे। इसके अतिरिक्त, तीन प्रकरणों<sup>34</sup> के लिए, सरकार ने बताया कि रिफंड निर्धारित समय अवधि के भीतर स्वीकृत किया गया था और आरएफडी 04 (90 प्रतिशत) और आरएफडी 06 (10 प्रतिशत) के माध्यम से दो किश्तों में भुगतान किया गया था, इसलिए कोई अतिरिक्त रिफंड नहीं दिया गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इन तीन प्रकरणों में, 90 प्रतिशत अंतरिम रिफंड प्रदान किया गया था, जबकि प्रकरण शून्य-दर आपूर्ति से संबंधित नहीं थे। चार वृत्तों से संबंधित 10 प्रकरणों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2021)।

समापन परिचर्चा के दौरान, विशेष आयुक्त (जीएसटी) ने लेखापरीक्षा आक्षेप को स्वीकार करते हुए कहा कि यह एक प्रक्रियात्मक चूक थी और इससे सरकार को वित्तीय नुकसान नहीं हुआ। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि यद्यपि समग्र रिफंड राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथापि, अंतरिम रिफंड की सुविधा रिफंड के दावे के अंतिम निपटान तक कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के उपाय के रूप में केवल शून्य-दर आपूर्ति के लिए प्रदान की जाती है, जो कि अन्य श्रेणियों के करदाताओं के लिए अस्थायी आधार पर, अर्थात् दस्तावेजों के उचित सत्यापन के आधार पर अंतिम निपटान से पहले, रिफंड प्रदान करने से ऐसे करदाताओं को समय से पहले सरकारी धन जारी करने से अनुचित लाभ होता है।

(संदर्भ परिशिष्ट 2.12)

उदाहरणास्वरूप एक प्रकरण नीचे दिया गया है :-

विशेष वृत्त-III, जयपुर में रिफंड दावों के प्रसंस्करण की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि एक करदाता द्वारा इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण संचित आईटीसी से संबंधित नौ रिफंड दावे किए गये थे। विभाग द्वारा उक्त प्रावधानों के उल्लंघन में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के इन सभी नौ प्रकरणों के समक्ष 90 प्रतिशत की अंतरिम रिफंड राशि जारी की गई जिसके परिणामस्वरूप कुल ₹ 2.03 करोड़ के अंतरिम रिफंड का अनियमित भुगतान हुआ।

यह विभाग एवं सरकार के ध्यान में लाया गया (मई 2021)। सरकार ने बताया (जुलाई 2021) कि रिफंड नियमानुसार स्वीकृत किए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये सभी नौ दावे इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से संबंधित थे और इस कारण अंतरिम रिफंड के लिए पात्र नहीं थे।

### 2.7.7 अन्य अनियमितताएं

#### 2.7.7.1 आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी की रिफंड योग्य राशि की गणना के लिए सामान्य पोर्टल पर सत्यापन जांच का अभाव।

सीबीआईसी के परिपत्र संख्या 59/33/2018-जीएसटी दिनांक 04 सितंबर 2018 और विभाग के परिपत्र संख्या 6/2018 दिनांक 26 सितंबर 2018 के अनुसार, रिफंड योग्य राशि के निर्धारण

34 वृत्त सी और एल जयपुर से संबंधित।

के बाद, समतुल्य राशि को निम्नलिखित क्रम में करदाता के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर (ईसीएल) में डेबिट किया जाना चाहिए: (अ) एकीकृत कर, उपलब्ध शेष राशि की सीमा तक; (ब) केंद्रीय कर और राज्य कर/केंद्र शासित प्रदेश कर, समान रूप से उपलब्ध शेष राशि की सीमा तक तथा किसी ईसीएल विशेष में उपलब्ध शेष राशि में कमी (जैसे, केंद्रीय कर) की स्थिति में, अंतर राशि को अन्य ईसीएल (अर्थात्, इस प्रकरण में राज्य कर/केन्द्र शासित प्रदेश कर) से डेबिट किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि 208 प्रकरणों<sup>35</sup> (12.21 प्रतिशत) में, जांच किये गए 1,703 रिफंड प्रकरणों में से, स्वीकृत सीजीएसटी और एसजीएसटी का रिफंड उक्त प्रावधानों के विरुद्ध पात्र राशि से अधिक था। यह उल्लेख करना भी उचित है कि निर्धारित क्रम में आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी की सही रिफंड योग्य राशि की गणना करने के लिए राज्य जीएसटी पोर्टल में सिस्टम सत्यापन जांच का अभाव है। इसके अतिरिक्त, करदाताओं द्वारा ईसीएल में रिफंड योग्य राशि को डेबिट करने के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया और क्षेत्राधिकारियों द्वारा मैनुअल रूप से सही राशि की जांच किए बिना, करदाताओं द्वारा दावा किए गए रिफंड को स्वीकृत किया गया। उपरोक्त त्रुटि के परिणामस्वरूप सीजीएसटी और एसजीएसटी ईसीएल से कुल ₹ 16.04 करोड़ के अधिक रिफंड स्वीकृत हुए, जिसके परिणामस्वरूप आईजीएसटी ईसीएल में इस सीमा तक अधिक क्रेडिट शेष हो गया।

प्रकरण विभाग व राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। सरकार ने सूचित किया (जुलाई 2021) कि 30 प्रकरणों<sup>36</sup> में नोटिस जारी किये गये तथा तीन प्रकरणों<sup>37</sup> में ₹ 5.41 लाख की वसूली की गयी। 63 प्रकरणों<sup>38</sup> में, अनियमितता के लिए जीएसटी पोर्टल की तकनीकी समस्याओं, यथा विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत दावा किए गए रिफंड को संशोधित करने में कर अधिकारियों की असक्षमता और रिफंड स्वीकृत करने के बाद शीर्ष-वार राशि को सही करने के लिए सुविधा की कमी को जिम्मेदार ठहराया गया। दो प्रकरणों<sup>39</sup> के संबंध में सरकार ने बताया कि सीजीएसटी नियमों के नियम 89(5) के अनुसार राशि की गणना के बाद परिपत्र के प्रावधानों के अनुपालन में रिफंड स्वीकृत किये गये हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन दोनों प्रकरणों में, उपरोक्त परिपत्रों के अनुसरण में ईसीएल से डेबिट करने के आदेश का पालन नहीं किया गया था जिसके कारण सीजीएसटी और एसजीएसटी ईसीएल से अधिक डेबिट हुआ। समापन परिचर्चा के दौरान विशेष आयुक्त (जीएसटी) ने कहा कि इस तरह की सत्यापन जांच अब पोर्टल पर प्रारम्भ कर दी गई है।

24 वृत्तों से संबंधित 110 प्रकरणों के उत्तर प्रतीक्षित थे (दिसंबर 2021)।

(संदर्भ परिशिष्ट 2.13 और 2.14)

35 43 वृत्तों से संबंधित।

36 चार वृत्तों से संबंधित: वृत्त ए भिवाड़ी, एल जयपुर, ए अजमेर व नागौर।

37 वृत्त बी एवं विशेष I अजमेर।

38 बारह वृत्तों से संबंधित: वृत्त सी, के, क्यू जयपुर, बी कोटा, बी हनुमानगढ़, नागौर, किशनगढ़, ए व सी भीलवाड़ा, ए भिवाड़ी, शाहजहांपुर और बी अजमेर।

39 वृत्त के, जयपुर।

### 2.7.7.2 पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक रिफंड प्रक्रिया में खामियाँ/कमियाँ

रिफंड प्रक्रिया 26 सितंबर 2019 से पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक हो गई और सीबीआईसी द्वारा परिपत्र संख्या 125/44/2019-जीएसटी दिनांक 18 नवंबर, 2019 के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि सहायक दस्तावेजों के साथ रिफंड आवेदन (आरएफडी-01ए) इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परिपत्र संख्या 05/2020 दिनांक 04 अप्रैल 2020 द्वारा, विभाग ने स्पष्ट किया कि कुल आईटीसी में से पूंजीगत माल और/या आगत सेवाओं पर आईटीसी को अलग करने के लिए परिशिष्ट-बी में आवक आपूर्ति से संबंधित इनवॉयस के विवरण में माल/सेवाओं के एचएसएन/एसएसी<sup>40</sup> कोड को अनिवार्य रूप से शामिल किया जावेगा।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, चयनित वृत्तों में 6,155 स्वचालन-पश्चात रिफंड प्रकरण संसाधित किये गये। इनमें से 1,212 रिफंड प्रकरणों की जांच की गई तथा यह देखा गया कि 296 मामलों<sup>41</sup> (24.42 प्रतिशत) में आरएफडी-01ए आवेदन के साथ परिशिष्ट-बी प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि छः रिफंड प्रकरणों<sup>42</sup> में एचएसएन/एसएसी कोड का उल्लेख नहीं किया गया था। माल/सेवाओं के परिशिष्ट-बी और एचएसएन/एसएसी कोड के अभाव में, रिफंड के लिए पात्र आईटीसी का सत्यापन नहीं किया जा सका। इस प्रकार, क्षेत्राधिकारियों द्वारा आवश्यकता के अनुसार परिशिष्ट-बी की ऑनलाइन प्रस्तुति और पूर्णता सुनिश्चित किए बिना ₹ 56.98 करोड़ की राशि के रिफंड स्वीकृत किये गये।

प्रकरण विभाग व राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। सरकार ने 82 प्रकरणों<sup>43</sup> के संबंध में बताया (जुलाई 2021) कि परिशिष्ट बी को ऑनलाइन अपलोड करने में तकनीकी समस्या थी। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया कि 67 प्रकरणों<sup>44</sup> में नोटिस जारी किए गए हैं और करदाताओं ने 24 प्रकरणों<sup>45</sup> में विभाग को मैन्युअल रूप से परिशिष्ट-बी प्रस्तुत किया है। उत्तर को इस दृष्टिकोण से देखे जाने की आवश्यकता है कि प्रणाली 26 सितंबर 2019 से पूरी तरह से स्वचालित थी और परिशिष्ट-बी और अन्य दस्तावेजों को आरएफडी-(01ए) के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। एक प्रकरण<sup>46</sup> के संबंध में सरकार ने बताया कि रिफंड के लिये आवेदन, परिपत्रों के जारी होने से पूर्व किया गया था, और इसलिए, परिपत्रों के प्रावधान लागू नहीं थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार करदाता ने परिपत्र जारी होने के बाद रिफंड के लिए आवेदन किया था। समापन परिचर्चा के दौरान, आयुक्त, वाणिज्यिक कर लेखापरीक्षा के तर्क से सहमत थे।

23 वृत्तों से संबंधित 128 प्रकरणों में उत्तर प्रतीक्षित थे (दिसंबर 2021)।

(संदर्भ परिशिष्ट 2.15 और 2.16)

40 हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमिनक्लेचर (एच एस एन)/सर्विस अकाउंटिंग कोड (एस ए सी)

41 44 वृत्तों से संबंधित।

42 तीन वृत्तों से संबंधित।

43 वृत्त के और विशेष III जयपुर, किशनगढ़, शाहजहांपुर, ए और सी भीलवाड़ा, विशेष- I, ए और बी अजमेर, बी हनुमानगढ़ और ए भिवाड़ी से संबंधित।

44 वृत्त बी, जे, क्यू जयपुर, ए भरतपुर, बी कोटा, पाली, नागौर और बालोतरा।

45 वृत्त- जी और एन जयपुर, बालोतरा और ए, अलवर।

46 वृत्त एफ जयपुर से संबंधित।

### 2.7.7.3 माल के निर्यात जहां निर्यात प्राप्तियों की वसूली न हुई हो, की पहचान करने के लिए तंत्र का अभाव

सीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 96बी<sup>47</sup> ऐसे प्रकरणों से संबंधित है जिनमें किसी आवेदक को माल के निर्यात के कारण या माल के निर्यात पर भुगतान किए गए एकीकृत कर के लिए अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के किसी रिफंड का भुगतान किया गया हो, किन्तु ऐसे निर्यात किए गए माल के संबंध में विक्रय प्राप्त भारत में, पूर्ण या आंशिक रूप से, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत अनुमत्य अवधि के भीतर प्राप्त नहीं की गयी है।

नियम के अनुसार ऐसे प्रकरण में वह व्यक्ति, जिसे रिफंड स्वीकृत किया गया है, विक्रय प्राप्तियों की प्राप्त न की गयी राशि की सीमा तक, इस प्रकार रिफंड की गयी राशि मय देय ब्याज उक्त अवधि की समाप्ति के तीस दिनों के भीतर जमा करायेगा।

निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रपत्र जीएसटी आरएफडी-01 में उपरोक्त प्रभाव का एक वचनपत्र जोड़ा गया है।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, चयनित वृत्तों में शून्य-दर आपूर्ति से संबंधित 5,013 रिफंड प्रकरणों को संसाधित किया गया था। इनमें से 111 प्रकरणों में निर्यात प्राप्तियों की वसूली के प्रमाण प्रस्तुत करने की जांच की गई और यह देखा गया कि 34 प्रकरणों<sup>48</sup> (30.63 प्रतिशत) में करदाताओं द्वारा बैंक वसूली प्रमाणपत्र (बीआरसी) प्रस्तुत नहीं किया गया। निर्यात प्राप्तियों की वसूली के प्रमाण के लंबित होने के संबंध में सूचना कर वृत्तों के क्षेत्राधिकारियों के पास उपलब्ध नहीं थी तथा इस प्रकार की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्ट राज्य जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं थी। लेखापरीक्षा जांच से ज्ञात हुआ कि ऐसी सूचना भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास निर्यात बकाया विवरण (एक्सओएस विवरण) के रूप में उपलब्ध थी जिसमें राज्य/विभाग के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत निर्यातकों से बकाया वसूली का प्रमाण शामिल था। तथापि, कर वृत्तों में क्षेत्राधिकारियों को यह जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था का अभाव था। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा इस संबंध में निर्यातकों के साथ पत्राचार भी नहीं किया गया। ऐसी सूचना की उपलब्धता के अभाव में, विभाग द्वारा ऐसे प्रकरणों की पहचान नहीं की गई, जहां निर्यात प्राप्तियों की वसूली के प्रमाण उपलब्ध नहीं थे।

प्रकरण विभाग व राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। सरकार ने बताया (जुलाई 2021) कि 12 प्रकरणों<sup>49</sup> में नोटिस जारी किए गए हैं। समापन परिचर्चा के दौरान सचिव, वित्त (राजस्व) ने सुझाव को स्वीकार करते हुए कहा कि आरबीआई से आवश्यक जानकारी एकत्र करने का प्रयास किया जाएगा अथवा पोर्टल पर ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिए जीएसटीएन से अनुरोध किया जाएगा।

47 अधिसूचना सं. 16/2020/दिनांक 23 मार्च 2020 द्वारा सम्मिलित किया गया।

48 नौ वृत्तों से संबंधित।

49 वृत्त ए, भीलवाड़ा, वृत्त बी, हनुमानगढ़ और वृत्त, किशनगढ़।

छः वृत्तों से संबंधित 22 प्रकरणों में उत्तर प्रतीक्षित थे (दिसंबर 2021)।

(संदर्भ परिशिष्ट 2.17)

#### 2.7.7.4 अवधि पार प्रकरणों में अनियमित रिफंड

सीजीएसटी/आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54(1) के अनुसार रिफंड का दावा करने के लिए संबंधित तिथि से दो वर्ष की समय सीमा निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, अधिसूचना क्रमांक 02/2019- सीबीआईसी दिनांक 29 जनवरी 2019 (01 फरवरी 2019 से प्रभावी) के अनुसार, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण संचित आगत कर की स्थिति में, संबंधित तिथि का अर्थ धारा 39 के अन्तर्गत उस अवधि, जिसमें रिफंड के लिए ऐसा दावा देय होता है, के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि से दो वर्ष है।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, चयनित वृत्तों में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के 3,845 रिफंड प्रकरणों में से, 835 रिफंड प्रकरणों की जांच की गई और यह देखा गया कि 34 रिफंड प्रकरणों<sup>50</sup> (4.07 प्रतिशत) में, करदाताओं ने इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण, जिस अवधि के लिए रिफंड के दावे संबंधित हैं, उसके लिए विवरणी प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के दो वर्ष बाद आगत कर के रिफंड का दावा किया था। इन प्रकरणों के लिए अवधिपार सीमा से संबंधित आगत कर की कटौती के बाद, रिफंड की पात्र राशि ₹ 1.05 करोड़ थी। तथापि, विभाग अवधिपार सीमा से संबंधित आगत कर की कटौती करने में विफल रहा और ₹ 3.73 करोड़ के रिफंड स्वीकृत किये जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.68 करोड़ के अधिक रिफंड स्वीकृत हुए।

प्रकरण विभाग व राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। सरकार ने बताया (जुलाई 2021) कि दो प्रकरणों<sup>51</sup> में ब्याज सहित आक्षेपित राशि ₹ 10.94 लाख की वसूली की गई है तथा पांच प्रकरणों<sup>52</sup> में नोटिस जारी किए गए हैं। एक प्रकरण<sup>53</sup> के संबंध में, बताया गया कि उपरोक्त अधिसूचना लागू नहीं है क्योंकि रिफंड का दावा 2017-18 से संबंधित है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिनियम में संशोधन दिनांक 29 जनवरी 2019 की अधिसूचना के तहत 01 फरवरी 2019 से प्रभावी था जबकि रिफंड का दावा मार्च 2020 में किया गया था। इसलिए, उपरोक्त संशोधन इस दावे पर लागू था जिसके कारण जुलाई 2017 से जनवरी 2018 तक की अवधि के लिए किया गया दावा अवधिपार था, और इस प्रकार रिफंड के लिए अपात्र था। समापन परिचर्चा के दौरान सचिव, वित्त (राजस्व) ने बताया कि इस संबंध में सत्यापन जांच के लिए जीएसटी कानून समिति की बैठक में अनुरोध किया जाएगा।

12 वृत्तों से संबंधित 26 प्रकरणों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2021)।

(संदर्भ परिशिष्ट 2.18)

50 19 वृत्तों से संबंधित

51 वृत्त के जयपुर (₹ 9.83 लाख) और वृत्त बांसवाड़ा (₹ 1.11 लाख)।

52 वृत्त नागौर, ए, भरतपुर, सी, भीलवाड़ा और एन जयपुर से संबंधित।

53 वृत्त नागौर।

उदाहरणास्वरूप एक प्रकरण नीचे दिया गया है:

वृत्त-सी, जोधपुर में रिफंड दावों की नमूना जांच के दौरान, देखा गया कि एक करदाता द्वारा 24 जून 2020 को जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण आईटीसी के रिफंड के लिए ₹ 63.69 लाख की राशि का रिफंड आवेदन प्रस्तुत किया गया। दावा किए गए कुल रिफंड में से, जुलाई 2017 से जनवरी 2018 की अवधि के लिए रिफंड का दावा अवधिपर था क्योंकि रिफंड के लिए आवेदन इस अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि से दो वर्ष की समाप्ति के बाद किया गया था। फरवरी 2018 से मार्च 2018 की अवधि के लिए निर्धारित फार्मूले<sup>54</sup> के अनुसार पात्र रिफंड शून्य था। तथापि, रिफंड के दावे को संसाधित करते समय विभाग द्वारा पूरे रिफंड दावे को स्वीकृत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 63.69 लाख का अधिक रिफंड स्वीकृत हुआ।

यह विभाग एवं सरकार के ध्यान में लाया गया (मई 2021)। सरकार ने बताया (जुलाई 2021) कि संबंधित वृत्त से उत्तर प्रतीक्षित था।

#### **2.7.7.5 इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में क्षतिपूर्ति उपकर का अनियमित रिफंड**

धारा 54(3) के अनुसार, अप्रयुक्त आईटीसी का रिफंड निम्न के अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में अनुमत्य नहीं होगा: (i) कर के भुगतान के बिना की गई शून्य-दर आपूर्ति; (ii) जहाँ निर्गत आपूर्ति (शून्य-दर या पूर्णतः छूट आपूर्ति के अलावा) की तुलना में आगत पर कर की अधिक दर के कारण क्रेडिट संचित हुआ है।

चूंकि निर्गत आपूर्ति पर क्षतिपूर्ति उपकर से छूट दी गई है, आगत आपूर्ति पर भुगतान किए गए क्षतिपूर्ति उपकर पर इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अन्तर्गत कोई रिफंड उपलब्ध नहीं होगा। यह केवल माल के निर्यात की स्थिति में उपलब्ध होगा।

जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 11(1) के अन्तर्गत, सीजीएसटी अधिनियम के प्रावधान और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम, जिसमें कर निर्धारण, आगत कर जमा, कर की अवसूली, कम वसूली, ब्याज, अपील, अपराध और शास्ति, शामिल हैं, यथोचित यथावश्यक परिवर्तनों सहित, माल और सेवाओं की राज्यान्तर्गत आपूर्ति पर धारा 8 के अंतर्गत उपकर के आरोपण और संग्रहण के संबंध में लागू होंगे, जैसा कि वे उक्त अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन ऐसी राज्यान्तर्गत आपूर्ति पर केंद्रीय कर के आरोपण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, चयनित वृत्तों में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के 3,845 रिफंड प्रकरणों में से 835 रिफंड प्रकरणों की जांच की गई और तीन प्रकरणों<sup>55</sup> में यह देखा गया कि इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के प्रकरणों में प्रावधानों के उल्लंघन में, क्षतिपूर्ति उपकर की संचित आईटीसी के

54 आरजीएसटी/सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 89(5) के अनुसार।

55 वृत्त सी, जयपुर और वृत्त ई, जोधपुर से संबंधित।

रिफंड को स्वीकृत किया गया था जहाँ निर्गत आपूर्ति पर उपकर आरोपणीय नहीं था। इस प्रकार, क्षेत्राधिकारियों द्वारा रिफंड दावों की उचित जांच के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 9.81 लाख की राशि के रिफंड की अनियमित स्वीकृति हुई।

प्रकरण विभाग व राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। सरकार ने बताया (जुलाई 2021) कि संबंधित वृत्त अधिकारियों को जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिया गया है। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2021)।

#### **2.7.7.6 सौर ऊर्जा आपूर्ति पर जीएसटी का अनियमित रिफंड**

सौर ऊर्जा संयंत्रों को 31.12.2018 तक निर्माण कार्य अनुबंध सेवाओं के रूप में माना जाता था एवं तदनुसार कर का आरोपण किया जाता था। सीबीआईसी की अधिसूचना (27/2018) दिनांक 31 दिसंबर 2018 के माध्यम से कानून में यह प्रावधित करने हेतु संशोधन किया गया कि यदि अक्षय ऊर्जा उपकरणों की आपूर्ति, अन्य माल और कर योग्य सेवाओं के साथ आपूर्ति उनकी स्थापना के संबंध में की जाती है, तो सकल प्रतिफल के 70 प्रतिशत को 'माल की आपूर्ति का मूल्य' समझा जायेगा एवं उस पर पाँच प्रतिशत से जीएसटी लगेगा और शेष 30 प्रतिशत 'सेवाओं का मूल्य' होगा जिस पर 18 प्रतिशत से जीएसटी लगेगा। इन पर सीबीआईसी की दिनांक 01.01.2019 से प्रभावी अधिसूचना संख्या 11/2017-सीटी (आर) के क्रम संख्या 38 एवं अधिसूचना संख्या 1/2017-सीटी (आर) के क्र.सं. 234 के अन्तर्गत माल की आपूर्ति और सेवाओं की आपूर्ति के लिए अलग से कर आरोपणीय है।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, चयनित वृत्तों में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से संबंधित 3,845 रिफंड प्रकरणों में से, 835 रिफंड प्रकरणों की जांच की गई और यह पाया गया कि एक प्रकरण में, करदाता<sup>56</sup> द्वारा माल की आपूर्ति के अतिरिक्त सेवाओं की भी आपूर्ति की गई थी, जिसके कारण सकल प्रतिफल के 30 प्रतिशत को 'सेवाओं का मूल्य' समझा जाना चाहिए था। तथापि, करदाता द्वारा अपनी विवरणियों में 5 प्रतिशत कर की दर पर पूरी आपूर्ति घोषित की गई तथा इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण रिफंड का दावा किया गया, जबकि आपूर्ति का 30 प्रतिशत 'सेवाओं का मूल्य' (18 प्रतिशत पर कर योग्य) इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के दायरे से बाहर था। तथापि, क्षेत्राधिकारी द्वारा करदाता के दावे के अनुसार आईजीएसटी रिफंड अनुमत्य किया गया। इस प्रकार, क्षेत्राधिकारी द्वारा रिफंड दावों की उचित जांच के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 12.88 लाख की राशि के रिफंड की अनियमित स्वीकृति हुई।

प्रकरण विभाग व राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। सरकार ने बताया (जुलाई 2021) कि संबंधित वृत्त अधिकारी को जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2021)।

(संदर्भ परिशिष्ट 2.19)

56 सौर ऊर्जा संयंत्र की आपूर्ति और स्थापना में कार्यरत ॥

### 2.7.8 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा द्वारा कुछ प्रकरण देखे गये जहां विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया गया, जिसके कारण पावती जारी करने, रिफण्ड आदेश और अंतरिम रिफण्ड में विलम्ब के मामले सामने आए। इसके अतिरिक्त, क्षेत्राधिकारियों द्वारा रिफंड दावों की उचित जांच के अभाव के कारण कुछ प्रकरणों में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, शून्य-दर आपूर्ति, अवधिपार प्रकरणों आदि के अंतर्गत रिफंड की अनियमित स्वीकृति दी गई।

इसके अतिरिक्त, जीएसटीएन पोर्टल पर सत्यापन जांच का अभाव, पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक रिफंड प्रक्रिया में स्वामियाँ/कमियां तथा माल के निर्यात जहां निर्यात प्राप्तियों की वसूली नहीं की गई थी, की पहचान करने के लिए तंत्र का अभाव जिनसे रिफंड दावों की अनियमित स्वीकृतियाँ हुईं, जैसे प्रणाली से संबंधित मुद्दे भी देखे गए।

### 2.7.9 सिफारिशें

लेखापरीक्षा में सामने आई अनियमितताओं पर अपेक्षित कार्रवाई के अतिरिक्त, जैसा कि पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में बताया गया है, विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है कि सामान प्रकृति की अनियमितताओं की अन्य वृत्तों/प्रकरणों में पुनरावृत्ति न हो। इसके साथ ही जीएसटी पोर्टल से संबंधित मुद्दों, जिसमें अतिरिक्त प्रणालीगत सत्यापन जांचें लागू करना शामिल है, के प्राथमिकता से निराकरण की आवश्यकता है ताकि मानवीय त्रुटियों को कम करने के लिए आईटी प्रणाली के लाभों का पूरी तरह से फायदा लिया जा सके तथा जो जीएसटी कानूनों के बेहतर अनुपालन को सुनिश्चित किये जाने हेतु कर अधिकारियों को सहायता प्रदान कर सके।

## 2.8 माल और सेवाकर के अंतर्गत अनियमित रिफंड अनुमत्य किया जाना

लेखापरीक्षा ने 2020-21 के दौरान जीएसटी रिफण्ड पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) निष्पादित की। इस एसएससीए के महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर इस प्रतिवेदन के अनुच्छेद 2.7 में चर्चा की गई थी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने 10 वृत्तों में जीएसटी रिफंड से संबंधित 369 प्रकरणों की भी जांच की, और रिफंड्स के प्रसंस्करण में अनियमितताएं पाई गईं। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

### 2.8.1 इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण पूंजीगत माल और आगत सेवाओं के आगत कर जमा (आईटीसी) को हटाने में क्षेत्राधिकारी की विफलता के परिणामस्वरूप अनियमित रिफंड अनुमत्य किया जाना

सीजीएसटी/आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 (3) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति किसी भी अप्रयुक्त आईटीसी के रिफंड का दावा, जहां आगत पर कर की दर निर्गत आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होने (अर्थात् इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर) के कारण क्रेडिट का संचय हुआ है, किसी भी कर अवधि के अंत में कर सकता है। इसके अतिरिक्त, सीजीएसटी 2017 का



नियम 89(5) इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण अप्रयुक्त आईटीसी के अधिकतम प्रतिदाय के लिए फॉर्मूला<sup>57</sup> निर्धारित करता है जिसमें 'नेट आईटीसी' में संबंधित अवधि के दौरान केवल आगत<sup>58</sup> पर प्राप्त आईटीसी शामिल है और इसमें आगत सेवाओं और पूंजीगत माल पर प्राप्त किया गया क्रेडिट शामिल नहीं है।

कार्यालय उपायुक्त, राज्य कर, वृत्त-बी, सीकर के लेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि दो करदाताओं ने जुलाई 2017 से दिसम्बर 2019 की अवधि के लिए इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण संचित आईटीसी के रिफण्ड का दावा किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि रिफण्ड दावों में, नियमों के विपरीत आगत सेवाओं और पूंजीगत माल पर प्राप्त आईटीसी को भी नेट आईटीसी की गणना में लिया गया था। तथापि, क्षेत्राधिकारी रिफण्ड की स्वीकृति देते समय अनियमितता का पता लगाने में विफल रहे और करदाताओं द्वारा दावा किए गए रिफण्ड को अनुमत्य किया जिसके कारण स्वीकृत रिफण्ड निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार अधिकतम रिफण्ड राशि से अधिक हो गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.34 करोड़ के रिफण्ड का अनियमित भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा आक्षेप विभाग एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2021)। सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2021) कि एक प्रकरण में ₹ 0.81 करोड़ की सम्पूर्ण राशि की वसूली कर ली गई है, जबकि अन्य प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2021)।

### **2.8.2 क्षेत्राधिकारी केंद्रीय कर के ड्यूटी ड्राबैंक का पता लगाने में विफल रहे और करदाताओं द्वारा दावा किए गए रिफण्ड को अनुमत्य किया**

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54(3) के तीसरे प्रावधान के अनुसार, यदि माल या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता ने केंद्रीय कर या ऐसी आपूर्ति पर भुगतान किए गए एकीकृत कर के संबंध में ड्राबैंक का लाभ लिया है, तो आईटीसी के रिफण्ड की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।

तीन राज्य कर कार्यालयों<sup>59</sup> के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 15 करदाताओं ने कर के भुगतान के बिना माल के निर्यात के संबंध में जुलाई, अगस्त और सितंबर 2017 के महीनों के लिए जीएसटी के अंतर्गत अप्रयुक्त आईटीसी के रिफण्ड का दावा किया। आगे की जांच से पता चला कि इन करदाताओं ने केंद्रीय कर के संबंध में ड्राबैंक का लाभ उठाया था जिसके कारण ये करदाता इस अवधि के लिए सीजीएसटी और आईजीएसटी की अप्रयुक्त आईटीसी के रिफण्ड का दावा करने के पात्र नहीं थे। तथापि, रिफण्ड की स्वीकृति देते समय क्षेत्राधिकारी, अनियमितता का पता नहीं लगा सके और त्रुटिपूर्वक करदाताओं द्वारा दावा किये रिफण्ड को

57 अधिकतम रिफण्ड राशि= (माल एवं सेवाओं की इनवर्टेड रेटेड आपूर्ति का टर्नओवर)\* (नेट आईटीसी/समायोजित कुल टर्नओवर) – माल एवं सेवाओं की ऐसी इनवर्टेड रेटेड आपूर्ति पर देय कर।

58 आगत का अर्थ पूंजीगत माल के अलावा कोई भी माल है जो किसी आपूर्तिकर्ता द्वारा व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग के लिये आशयित है।

59 वृत्त-पी, वृत्त-एच एवं वृत्त-एल जयपुर।

अनुमत्य कर दिया। इसके परिणामस्वरूप ₹1.46 करोड़ की राशि के रिफण्ड का अनियमित भुगतान हुआ।

अनियमितता विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित की गई (जुलाई 2021)। सरकार ने जवाब दिया (सितम्बर 2021) कि दो प्रकरणों<sup>60</sup> में अधिक लिये गये ड्यूटी ड्राबैक के अंतर के रूप में ₹ 46.75 लाख जमा किए गए हैं, चार प्रकरणों में ₹ 8.56 लाख<sup>61</sup> वसूल किए गए हैं जबकि शेष मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2021)।

### **2.8.3 क्षेत्राधिकारियों ने आवश्यक सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की, परिणामस्वरूप जीएसटी के अंतर्गत रिफण्ड की अनियमित स्वीकृति हुई**

आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (21) सह पठित राजस्थान वस्तु एवं सेवा कर (आरजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 7 के अनुसार, 'आपूर्ति' में व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय को आगे बढ़ाने के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिफल के लिए दिए गए सामान या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के सभी प्रकार सम्मिलित हैं।

मुख्य आयुक्त, राज्य कर, राजस्थान ने जीएसटी परिपत्र<sup>62</sup> सं. 32/2019 द्वारा स्पष्ट किया कि निर्यात प्रोत्साहन के लिए प्रदर्शनी या कंसाईन्मेंट के आधार पर भारत से बाहर माल भेजने/लेने की गतिविधि 'आपूर्ति' के अंतर्गत शामिल नहीं होती है क्योंकि यह गतिविधि उक्त धारा 7 के दायरे में नहीं आती है और इसलिए आईजीएसटी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार इसे 'शून्य दर आपूर्ति'<sup>63</sup> नहीं माना जा सकता। परिपत्र भारत से बाहर भेजे गये/ले जाए गए और वापस लाए गए माल के संबंध में पालना की जाने वाली प्रक्रिया भी प्रदान करता है।

कार्यालय उपायुक्त, राज्य कर, वृत्त-एच, जयपुर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच (जून 2020) से पता चला कि नौ करदाताओं ने कर के भुगतान के बिना भारत के बाहर माल की शून्य दर आपूर्ति के अंतर्गत ₹ 27.34 लाख के जीएसटी रिफण्ड का दावा किया। इसके अलावा अभिलेखों की जांच से पता चला कि इस राशि में से ₹ 19.24 लाख का रिफण्ड भारत के बाहर प्रदर्शनी या निर्यात प्रोत्साहन के लिए कंसाईन्मेंट के आधार पर भेजे गए/लिये गये माल से संबंधित था, जिसके समक्ष विदेशों में बेचे गए माल का विवरण/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये थे। इस प्रकार, वास्तविक 'आपूर्ति' का मूल्य जिस पर उक्त प्रावधानों के अनुसार रिफण्ड प्राप्त किया जाना था, सुनिश्चित नहीं किया जा सका। क्षेत्राधिकारियों ने दावों को सत्यापित करने के लिए आवश्यक सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की और करदाताओं द्वारा दावा किए गए रिफण्ड को स्वीकृति दे दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 19.24 लाख का अनियमित रिफण्ड हुआ।

60 वृत्त-पी जयपुर से सम्बंधित।

61 वृत्त-एच जयपुर से सम्बंधित।

62 परिपत्र एफ. 17 (134-भाग-II) लेखा/जीएसटी/2017/4644 दिनांक 19 जुलाई 2019।

63 आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 के अनुसार, 'शून्य दर आपूर्ति' का आशय एक विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता या एक विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई को माल या सेवाओं या दोनों का निर्यात या माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति है।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2021)। सरकार ने जवाब दिया (सितम्बर 2021) कि छः प्रकरणों में नोटिस जारी किये गये जबकि दो प्रकरणों में ₹ 0.17 लाख की वसूली की गयी है। एक प्रकरण में, सरकार ने बताया (सितंबर 2021) कि करदाता ने सूचित किया कि कुल ₹ 16.25 करोड़ में से ₹ 13.15 करोड़ का माल फिर से आयात किया गया और बाकी को बेच दिया गया। यद्यपि, करदाता ने अपने दावे के समर्थन में अपेक्षित दस्तावेज<sup>64</sup> प्रस्तुत नहीं किये। सरकार ने आगे कहा कि करदाता ने फिर से आयातित माल पर रिफण्ड को घटाकर अगले वित्तीय वर्ष में रिफण्ड का दावा किया। इस प्रकार, सरकार के उत्तर से स्पष्ट है कि क्षेत्राधिकारियों ने रिफण्ड की स्वीकृति से पूर्व आवश्यक सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की।

एक अन्य करदाता के मामले में, सरकार ने कहा (सितंबर 2021) कि शून्य-दर निर्यात के स्थान पर, दो मामलों में कर के अधिक भुगतान के कारण रिफण्ड का दावा किया गया और एक मामले में आईजीएसटी के भुगतान के साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र को आपूर्ति के कारण रिफण्ड का दावा किया गया था। तथापि, सरकार ने उत्तर के समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2021)।

## 2.9 'जीएसटी के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

### 2.9.1 प्रस्तावना

माल और सेवा कर (जीएसटी) को लागू किया जाना हमारे देश में अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार था, जिसके द्वारा केंद्र और राज्यों द्वारा आरोपणीय एवं एकत्र किये जाने वाले विभिन्न करों को प्रतिस्थापित किया गया। जीएसटी माल और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर गंतव्य आधारित कर है जो केंद्र और राज्यों द्वारा एक समान कर आधार पर एक साथ लगाया जाता है। केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) / केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी (यूटीजीएसटी) राज्यान्तर्गत आपूर्ति पर लगाया जाता है और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) अंतरराज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है। आगत, आगत सेवाओं एवं पूँजीगत माल पर भुगतान किये गये कर को निर्गत कर दायित्व के समक्ष समायोजित करने हेतु आईटीसी की उपलब्धता जीएसटी की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि यह करों के सोपानन/कास्केडिंग प्रभाव को रोकती है और विक्रेता से क्रेता तक क्रेडिट का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करती है। मौजूदा कानूनों से जीएसटी व्यवस्था में आगत कर के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने हेतु, जीएसटी अधिनियमों में आगत कर हेतु संक्रमणकालीन (ट्रांजिशनल) व्यवस्था को सम्मिलित किया गया था ताकि मौजूदा कानूनों के तहत भुगतान किये गये उचित करों या शुल्कों के संबंध में आगत कर का दावा करने की हकदारी एवं तरीका प्रदान किया जा सके। ट्रांजिशनल क्रेडिट प्रावधान, पूर्ववर्ती कर व्यवस्थाओं की विवरणियों में संचित क्रेडिट,

64 जैसे विदेशी आवक प्रेषण प्रमाणपत्र (एफआईआरसी) या बैंक समाधान प्रमाणपत्र (बीआरसी)।

नियत दिवस<sup>65</sup> पर स्टॉक में रखे हुए कच्चे माल, अर्द्धनिर्मित माल, निर्मित माल के आगत कर के साथ ही पूँजीगत माल की क्रेडिट के रूपान्तरण को सुनिश्चित करते हैं।

### 2.9.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

ट्रान 1<sup>66</sup> और ट्रान 2<sup>67</sup> विवरणियों के तहत दावा किया गया ट्रांजिशनल क्रेडिट, आगत कर के रूप में करदाताओं के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा किया जाता है एवं करदाताओं के जीएसटी के निर्गत कर दायित्व के समक्ष समायोजित किया जाता है, इसलिए, ऐसे दावों का जीएसटी राजस्व संग्रह पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार, जीएसटी के अन्तर्गत आगत कर हेतु ट्रांजिशनल व्यवस्थाओं की लेखापरीक्षा निम्नलिखित उद्देश्यों पर आश्वासन प्राप्त किये जाने हेतु की गई:

- (अ) क्या ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के चयन और सत्यापन के लिए विभाग द्वारा परिकल्पित तंत्र पर्याप्त और प्रभावी था (प्रणालीगत मुद्दे)।
- (ब) क्या निर्धारितियों द्वारा जीएसटी व्यवस्था में किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट वैध और स्वीकार्य थे (अनुपालन मुद्दे)।

### 2.9.3 लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र

लेखापरीक्षा क्षेत्र में आरजीएसटी अधिनियम की धारा 140 के तहत, आगत कर हेतु ट्रांजिशनल व्यवस्था के अन्तर्गत करदाताओं द्वारा दाखिल ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों की दोनों विवरणियाँ ट्रान-1 एवं ट्रान-2 की समीक्षा शामिल है। समीक्षा की अवधि नियत तिथि से मार्च 2020 तक थी।

### 2.9.4 लेखापरीक्षा पद्धति और नमूना चयन

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) की लेखापरीक्षा पद्धति में विभागीय सत्यापन की प्रक्रिया एवं परिणामों के साथ साथ चयनित दावों की विस्तृत स्वतंत्र संवीक्षा शामिल थी। व्यक्तिगत ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के सत्यापन में मौजूदा कानूनों के तहत नियत तिथि से तुरंत पहले दाखिल अंतिम विवरणी में करदाताओं द्वारा दावा किए गए एसजीएसटी क्रेडिट के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ जांच शामिल है। इसके अलावा, स्टॉक में रखी सामग्री से संबंधित दावा किए गए

65 नियत तिथि का आशय उस तिथि से है जिस तिथि से जीएसटी अधिनियम के प्रावधान लागू हुए अर्थात् 01 जुलाई 2017।

66 जीएसटी ट्रान-1 जीएसटी व्यवस्था से पहले के पंजीकृत करदाताओं के लिए एक ट्रांजिशनल फॉर्म है, जो जीएसटी के लागू होने से पहले जमा किए गए अपने पिछले आगत कर का लाभ उठाने के लिए जीएसटी ट्रान -1 फॉर्म दाखिल करते हैं।

67 जीएसटी ट्रान -2 एक ट्रांजिशनल फॉर्म है जिसे एक डीलर/व्यापारी द्वारा दाखिल किया जा सकता है, जो जीएसटी व्यवस्था से पहले अपंजीकृत था या जिसके पास 30 जून 2017 को रखे गये स्टॉक के वैट या उत्पाद शुल्क के इनवॉयस नहीं थे।

आगत कर के लिए सत्यापन में ऐसे माल की खरीद के साक्ष्य हेतु आवश्यक लेखांकन विवरणों, दस्तावेजों या अभिलेखों की जांच शामिल है। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा सत्यापित ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों से संबंधित अभिलेखों को भी सत्यापन के लिए मांगा गया था।

राजस्थान में, 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 की अवधि के दौरान कुल 53,432 ट्रांजिशनल क्रेडिट के आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से राज्य कर विभाग (विभाग) के 94 वृत्तों से संबंधित 1325 मामलों<sup>68</sup> (कुल दावों की संख्या का 2.48 प्रतिशत) का विस्तृत जाँच के लिए चयन ट्रान-1 से निकाले गये आँकड़ों एवं विभाग द्वारा प्रदत्त पुरानी वैट विवरणियों से संबंधित आँकड़ों पर जोखिम आधारित विश्लेषण के आधार पर किया गया था। इन मामलों की जांच वृत्तों के पास उपलब्ध अभिलेखों की जांच के साथ-साथ विभागीय वेब पोर्टल 'राजविस्टा' और जीएसटी वोवेब पोर्टल पर लॉगिन आईडी आधारित पहुंच के माध्यम से की गई।

इस एसएससीए पर परिचयात्मक परिचर्चा 20 जुलाई 2021 को आयोजित की गयी थी जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, नमूना चयन, लेखापरीक्षा क्षेत्र और कार्यप्रणाली को स्पष्ट किया गया था। समापन परिचर्चा 12 अक्टूबर 2021 को सचिव, वित्त (राजस्व), राजस्थान सरकार, मुख्य आयुक्त राज्य कर एवं राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों के साथ आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। समापन परिचर्चा के दौरान राज्य सरकार द्वारा व्यक्त किए गए विचार एवं प्रारूप प्रतिवेदन पर प्राप्त लिखित उत्तरों को संबंधित अनुच्छेदों में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

### 2.9.5 लेखापरीक्षा के मानदंड

लेखापरीक्षा के मानदंड निम्नलिखित अधिनियमों, नियमों और उसके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं/परिपत्रों से लिए गए थे:

- I. राजस्थान माल और सेवा कर (आरजीएसटी) अधिनियम, 2017
- II. राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017
- III. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (वैट) अधिनियम, 2003
- IV. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (वैट) नियम, 2006
- V. केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) अधिनियम, 1956
- VI. केंद्रीय बिक्री कर (रजिस्ट्रेशन और आवर्त) नियम, 1957

### 2.9.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

व्यक्तिगत ट्रांजिशनल मामलों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा जाँच किये गए 1,325 मामलों में से 691 मामलों<sup>69</sup> (52 प्रतिशत) में जीएसटी अधिनियमों/नियमों से महत्वपूर्ण विचलन

68 इनमें केंद्रीय क्षेत्राधिकार के तहत 570 करदाता और राज्य क्षेत्राधिकार के तहत 755 करदाता शामिल थे।

69 कर निर्धारण/संशोधन आदेश के अनुसार आगत कर के अधिक अग्रेषण के 674 मामले (पैरा 6.1.1), पिछली अवधि की आईटीसी की अधिक अनुमत्यता एवं अग्रेषण का एक मामला (पैरा 6.1.2) और ब्याज का भुगतान न करने के 16 मामले (पैरा 6.1.3)।

देखा गया। अनियमितताएं आगत कर का अधिक अग्रोषण, अनियमित ट्रांजिशनल क्रेडिट के रिवर्सल पर ब्याज का भुगतान न करने आदि से संबंधित थीं।

एसएससीए के दौरान देखे गए अनुपालन मुद्दों से संबंधित कमियों को नीचे तालिका 2.5 में सारीकृत किया गया है :

**तालिका 2.5**

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा निष्कर्षों की प्रकृति	लेखापरीक्षा नमूना		पायी गई कमियों की संख्या		नमूने के प्रतिशत के रूप में विचलन	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
कर निर्धारण आदेश / संशोधन आदेश के अनुसार आगत कर का अधिक अग्रोषण	1325 (केंद्रीय-570 और राज्य-755)	624.24 (केंद्रीय 364.49 और राज्य 259.75)	674	164.68	50.86	26.38
पुरानी विवरणी के अनुसार आगत कर का अधिक अग्रोषण			101 <sup>70</sup>	8.9	7.62	1.42
ब्याज का भुगतान न करना	29	7.60 (केंद्रीय 0.70 और राज्य 6.90)	16	0.90	55.17	11.84

अनुपालन मुद्दों के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने प्रणालीगत मुद्दों को भी देखा, जैसे कि आवश्यक विवरण के बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट की अनुमति, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का ट्रान -1 से मिलान न होना और ट्रांजिशनल क्रेडिट के सत्यापन पर निगरानी हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) की कमी।

चयनित मामलों की जांच के आधार पर पहचाने गए अनुपालन और प्रणालीगत मुद्दों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अनुवर्ती अनुच्छेदों में शामिल किया गया है।

### अनुपालन के मुद्दे

#### 2.9.6.1 आगत कर जमा (आईटीसी) का अधिक अग्रोषण

आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति, मौजूदा कानून के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत नियत दिवस से ठीक पूर्ववर्ती दिवस को समाप्त होने वाली अवधि की संबंधित विवरणी में आगे ले जाये गये मूल्य परिवर्धित कर (वैट) की राशि का क्रेडिट लेने का हकदार होगा। इसके अलावा, धारा में यह प्रावधान किया गया कि पंजीकृत व्यक्ति को क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उक्त क्रेडिट मौजूदा कानून के तहत आईटीसी के रूप में स्वीकार्य है और इस अधिनियम के तहत आईटीसी के रूप में भी स्वीकार्य है।

70 इन 101 मामलों में से 96 मामले कर निर्धारण आदेश के अनुसार आगत कर को अधिक अग्रोषित करने के 674 मामलों में शामिल हैं। शेष 5 प्रकरणों में विभाग कर निर्धारण/संशोधन आदेश के आधार पर आगत कर के अधिक अग्रोषण के संबंध में पहले ही नोटिस जारी कर चुका था।

इसके अलावा, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 74) की धारा 3, धारा 5 की उप-धारा (3), धारा 6, धारा 6ए या धारा 8 की उप-धारा (8) से संबंधित क्रेडिट के दावे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर (ईसीएल) में जमा किये जाने के लिए पात्र नहीं होंगे जिसे केंद्रीय बिक्री कर (रजिस्ट्रेशन और आवर्त) नियम, 1957 के नियम 12 में निर्धारित रीति से सिद्ध नहीं किया गया है। मौजूदा जीएसटी कानून में करदाताओं द्वारा दाखिल की गयी विवरणी के आधार पर उनके वैट अधिनियम, 2003 की धारा 23 और 24 एवं सीएसटी अधिनियम, 1956 की धारा 9 के तहत कर निर्धारण करने का प्रावधान है।

संबंधित 94 वृत्तों में जाँच किये गए 1325 ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों में से, लेखापरीक्षा संवीक्षा में 79 वृत्तों के 674 करदाताओं<sup>71</sup> ने आगत कर को अधिक अग्रेषित किया। इन मामलों में, ट्रान-1 की तालिका 5(सी) में अग्रेषित की गयी एसजीएसटी का ट्रांजिशनल क्रेडिट, कर निर्धारण/संशोधन आदेशों के अनुसार उपलब्ध आईटीसी से अधिक था। कर निर्धारण आदेश के अनुसार, इन करदाताओं पर जीएसटी व्यवस्था से पूर्व की अवधि के लंबित घोषणा पत्र और/या बकाया माँगें थीं, जिनकी गणना पिछली वैट/सीएसटी विवरणियों के आधार पर उपलब्ध आईटीसी को समायोजित करने के बाद की गई थी। तथापि, इस आईटीसी को करदाताओं द्वारा पहले ही ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में आगे अग्रेषित किया गया था। परिणामस्वरूप, करदाताओं के ईसीएल में ₹ 164.68 करोड़ की अधिक आईटीसी को अग्रेषित किया गया, जिसे उक्त प्रावधानों के अनुसार ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक था। इन 674 करदाताओं में से, राज्य के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले 40 करदाताओं को राज्य कर विभाग द्वारा सत्यापित किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने तक अनियमितताओं पर ध्यान नहीं गया। इसके अलावा, जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र के क्षेत्राधिकार में चले गए 34 करदाताओं के संबंध में, लेखापरीक्षा के दौरान यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि वैट विवरणियों के कर निर्धारण में कायम की गई माँग के बारे में केन्द्रीय कर प्राधिकारियों को सूचित किया गया था।

कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा पुरानी विवरणियों के कर निर्धारण के समय करदाताओं द्वारा पहले से प्राप्त ट्रांजिशनल क्रेडिट पर ध्यान नहीं देने के परिणामस्वरूप आरजीएसटी अधिनियम, 2017 के ट्रांजिशनल प्रावधानों के तहत अधिक क्रेडिट का लाभ उठाया गया।

इसके अलावा, 47 वृत्तों के 101 करदाताओं<sup>72</sup> ने पुरानी वैट विवरणी<sup>73</sup> में घोषित शेष आगत कर की तुलना में ट्रान-1 में ₹ 8.90 करोड़ की अधिक आईटीसी का दावा किया। यह दर्शित होता है कि करदाताओं ने आरजीएसटी अधिनियम की धारा 140 के उल्लंघन में अपने ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों को अपनी पुरानी विवरणी में अग्रेषित की गयी राशि के शेष से मिलान नहीं किया। चूंकि जीएसटीएन प्रणाली पर ट्रांजिशनल क्रेडिट दावा करने की प्रक्रिया करदाताओं द्वारा

71 इसमें केंद्रीय क्षेत्राधिकार के 354 करदाता और राज्य क्षेत्राधिकार के 320 करदाता शामिल हैं।

72 इसमें केंद्रीय क्षेत्राधिकार के 49 करदाता और राज्य क्षेत्राधिकार के 52 करदाता शामिल हैं।

73 वैट 10।

स्व-घोषणा पर आधारित थी, और इसका राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर पोर्टल<sup>74</sup> से कोई संबंध नहीं था, जीएसटीएन प्रणाली ऐसे अत्यधिक दावों को नहीं रोक सकी।

इन सभी मामलों में पुरानी विवरणियों का कर निर्धारण कर दिया गया, इसलिए, 96 मामलों में राज्य सरकार के राजस्व पर हुए निवल प्रभाव को उपरोक्त अनुच्छेद में शामिल किया गया है और शेष पांच मामलों में विभाग कर निर्धारण/संशोधन आदेश के आधार पर आईटीसी के अधिक अग्रेषण के संबंध में पहले ही नोटिस जारी कर चुका था।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2021)।

- कर निर्धारण/संशोधन आदेशों की तुलना में अधिक अग्रेषण के 674 प्रकरणों के संबंध में, सरकार ने बताया (दिसम्बर 2021) कि 286 प्रकरणों में संबंधित वृत्तों के अधिकारियों को अनुपालना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, 197 प्रकरणों में नोटिस जारी किया गया, 102 प्रकरणों में उचित जांच के बाद जवाब दिया जायेगा, 53 प्रकरणों में मामला केंद्रीय कर अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया, 22 प्रकरणों में संशोधन आदेश जारी किये गये तथा 14 प्रकरणों में ₹ 73 लाख वसूल/समायोजित किये गये।
- सरकार ने आगे सूचित किया (अक्टूबर 2021) कि 34 करदाताओं में से, जो कि जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र के क्षेत्राधिकार में चले गए, तीन करदाताओं की वैट विवरणियों के निर्धारण में कायम की गई मांग को केन्द्रीय कर प्राधिकारियों को सूचित किया गया और शेष करदाताओं के मामलों की जांच की जा रही थी।
- पुरानी विवरणी की तुलना में अधिक अग्रेषित 101 प्रकरणों के संबंध में, सरकार ने कहा (दिसंबर 2021) कि संबंधित वृत्तों के अधिकारियों को 64 प्रकरणों में अनुपालना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, तीन प्रकरणों में उचित जांच के बाद जवाब दिया जाएगा, 22 मामलों के संबंध में नोटिस जारी किया गया, छः प्रकरणों में मामला केंद्रीय कर अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया, तीन प्रकरणों में संशोधन आदेश जारी किया गया और तीन प्रकरणों में ₹ 4.76 लाख की वसूली की गई।

समापन परिचर्चा के दौरान, अतिरिक्त आयुक्त, जीएसटी ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि अधिकतर प्रकरण आगत कर मिसमैच या लंबित घोषणा प्रपत्रों से संबंधित हैं जो कि लंबित घोषणा प्रपत्रों के जमा कराने या मिसमैच आगत कर के सत्यापन के बाद सेट ऑफ किए जाएंगे। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2021)।

एक उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दिया गया है:

---

74 राजविस्टा



वृत्त ई, जयपुर में अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि एक करदाता ने पुरानी विवरणी<sup>75</sup> में ₹ 9.51 करोड़ की आईटीसी का दावा किया जिसे ट्रान-1 (दिसंबर 2017) में आगे अग्रेषित किया गया था। अभिलेखों की आगे की जांच से पता चला कि कर निर्धारण आदेश 2017-18 (दिसंबर 2019) के अनुसार स्वीकार्य आईटीसी केवल ₹ 14.65 लाख थी। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि कर निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 3.80 करोड़ की कुल कर देयता के समक्ष ₹ 14.65 लाख की आईटीसी को समायोजित करके तथा ₹ 94.52 लाख के कर भुगतान के बाद ₹ 2.71 करोड़ की मांग कायम की। परिणामस्वरूप, करदाता द्वारा ₹ 9.51 करोड़ के अधिक ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ उठाया गया।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2021)। सरकार ने कहा (दिसंबर 2021) कि संबंधित वृत्त अधिकारी को अनुपालना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2021)।

### **2.9.6.2 पिछली अवधि की अनियमित आईटीसी को अनुमत्य किया जाकर अग्रेषित किया जाना**

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 18(1) के अनुसार, प्रत्येक करदाता को राज्य के भीतर एक पंजीकृत डीलर से कर योग्य सामान की स्वरीद पर और खंड (ए) से (जी) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए आगत कर का दावा करने की अनुमति है।

वृत्त सुमेरपुर के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि एक करदाता ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2017-18 में ₹ 26.70 लाख की आईटीसी को अग्रेषित किया। वर्ष 2016-17 की विवरणी/कर निर्धारण की जांच से पता चला कि करदाता ने कर मुक्त के रूप में बेचे गए माल की स्वरीद पर ₹ 26.65 लाख की आईटीसी का दावा किया था। इसलिए, उक्त माल की स्वरीद पर आईटीसी अनुमत्य नहीं थी। तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारी वर्ष 2016-17 के कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय इस अनियमितता का पता लगाने में विफल रहे और करदाता द्वारा दावा की गई आईटीसी को अनुमत्य किया जो कि वर्ष 2017-18 के लिए अग्रेषित की गयी थी। करदाता ने पुरानी अवधि के अन्तिम शेष के रूप में ₹ 32.75 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया जिसमें 2016-17 से अनियमित रूप से अग्रेषित किये गये ₹ 26.65 लाख सम्मिलित थे। इसके परिणामस्वरूप ट्रान-1 में ₹ 26.65 लाख की आईटीसी का अधिक दावा हुआ जो ब्याज सहित वसूली योग्य था।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2021)। सरकार ने कहा (दिसंबर 2021) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया है। समापन परिचर्चा के दौरान, मुख्य आयुक्त (राज्य कर) ने लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार किया। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2021)।

---

75 पैट 10

### 2.9.6.3 ब्याज का भुगतान न करना

सीजीएसटी/आरजीएसटी 2017 के नियम 121 के अनुसार गलत तरीके से लिए गए किसी भी क्रेडिट के संबंध में आरजीएसटी अधिनियम की धारा 73 या 74 के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू की जाएगी। धारा 73 या 74 के अंतर्गत कार्यवाही के लिए करदाता द्वारा क्रेडिट के साथ अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत उस पर देय ब्याज का भुगतान किया जावेगा। अधिनियम की धारा 50, यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, तो जिस अवधि के लिए कर या उसका कोई हिस्सा बिना भुगतान के रहता है, को अधिसूचित की गई दर पर ब्याज का भुगतान करना होगा।

94 वृत्तों से संबंधित जाँचे गए 1325 ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों में, लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि 20 वृत्तों के 29 प्रकरणों में ₹ 6.56 करोड़ की राशि का अनियमित ट्रांजिशनल क्रेडिट रिवर्स किया गया। 12 वृत्तों<sup>76</sup> में 16 करदाताओं<sup>77</sup> के मामले में यह देखा गया कि ₹ 5.42 करोड़ के अनियमित ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया गया था जिसे बाद में करदाताओं द्वारा जमा करा दिया गया या करदाताओं/विभाग द्वारा रिवर्स कर दिया गया था, जिसमें उक्त प्रावधानों के अनुसार दावा किए गए अनियमित ट्रांजिशनल क्रेडिट की राशि पर दावे से रिवर्सल/जमा तक की अवधि के लिए ब्याज आरोपणीय था। तथापि, न तो करदाताओं ने ब्याज का भुगतान किया और न ही विभाग द्वारा इसकी मांग कायम की गई जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 0.90 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया। इसके अलावा, इन 16 करदाताओं में से चार करदाताओं ने ₹ 8.69 लाख के अनियमित क्रेडिट का उपयोग/आंशिक उपयोग किया था।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2021)। सरकार ने बताया (दिसम्बर 2021) कि सात वृत्तों<sup>78</sup> के 10 प्रकरणों में नोटिस जारी किये गये हैं, एक प्रकरण<sup>79</sup> में राशि ₹ 0.43 लाख की वसूली की गयी है, एक प्रकरण<sup>80</sup> में संबंधित वृत्त के अधिकारी को अनुपालना प्रस्तुत करने तथा एक प्रकरण<sup>81</sup> में उचित जांच के बाद जवाब प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा, दो वृत्तों<sup>82</sup> के तीन प्रकरणों के संबंध में यह कहा गया कि जीएसटी परिषद की बैठक दिनांक 17 सितंबर 2021 के अनुसार अप्रयुक्त आईटीसी पर कोई ब्याज देय नहीं है। समापन परिचर्चा के दौरान सहायक आयुक्त, जीएसटी ने कहा कि 45वीं जीएसटी

76 वृत्त ए, एन, डब्ल्यूटी-1 एवं स्पेशल-4 जयपुर, स्पेशल हनुमानगढ़, झालावाड़, ए और बी कोटा, गंगापुर सिटी, बी और स्पेशल-1, भिवाड़ी और शाहजहांपुर।

77 इसमें केंद्रीय क्षेत्राधिकार के 3 करदाता और राज्य क्षेत्राधिकार के 13 करदाता शामिल हैं।

78 वृत्त ए और बी कोटा, झालावाड़, डब्ल्यूटी-1 जयपुर, स्पेशल हनुमानगढ़, स्पेशल I भिवाड़ी और शाहजहांपुर।

79 वृत्त स्पेशल IV, जयपुर से संबंधित।

80 वृत्त ए, जयपुर।

81 वृत्त बी भिवाड़ी।

82 वृत्त एन जयपुर और गंगापुरसिटी।

परिषद की बैठक (17 सितंबर 2021 को आयोजित) के निर्णय<sup>83</sup> कि अपात्र आईटीसी को उपयोजित किये जाने पर ब्याज आरोपणीय होगा, को ध्यान में रखते हुए इन मामलों की जांच करने की आवश्यकता है। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि सीजीएसटी/आरजीएसटी अधिनियमों में प्रासंगिक संशोधन को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2021)।

एक उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दिया गया है:-

वृत्त एन जयपुर के अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया कि एक करदाता ने ट्रान-1 के माध्यम से ₹ 65.81 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ लिया (02 दिसंबर 2017), जिसमें से राशि ₹ 48.29 लाख का उपयोग करदाता द्वारा कर दायित्व को चुकाने के लिए किया गया (मई 2018)। तथापि कर निर्धारण आदेश (सितंबर 2019) की जांच में पता चला कि अग्रेषण योग्य आईटीसी की राशि ₹ 0.34 लाख थी। करदाता ने अप्रैल 2018 और जुलाई 2018 के जीएसटीआर 3बी में क्रमशः ₹ 49.52 लाख और ₹ 16.29 लाख के एसजीएसटी को रिवर्स किया (अगस्त 2018)। इसलिए, अधिक दावा की गई राशि ₹ 65.81 लाख, जिसे कि बाद में रिवर्स कर दिया गया था, पर उक्त प्रावधानों के अनुसार दिसम्बर 2017 से अगस्त 2018 की अवधि के लिए ₹ 8.59 लाख ब्याज देय था। तथापि, न तो करदाता ने ब्याज जमा कराया और न ही विभाग ने ब्याज राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.59 लाख की वसूली नहीं हुई।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 2021)। सरकार ने कहा (दिसंबर 2021) कि अप्रयुक्त आईटीसी पर ब्याज आरोपणीय नहीं है। तथापि, सीजीएसटी/आरजीएसटी अधिनियमों में किसी प्रासंगिक संशोधन के अभाव में, मौजूदा प्रावधानों के अनुसार लिए गए अनियमित ट्रांजिशनल क्रेडिट पर ब्याज देय है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2021)।

#### प्रणालीगत मुद्दे

#### 2.9.6.4 ट्रांजिशनल क्रेडिट के सत्यापन के लिए प्रणाली

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने मार्च 2018 के परिपत्र द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए ट्रांजिशनल क्रेडिट सत्यापन हेतु विस्तृत मार्गदर्शन नोट<sup>84</sup> जारी किया। परिपत्र निर्दिष्ट करता है कि सीजीएसटी अधिकारियों के पास सीजीएसटी के ट्रांजिशनल क्रेडिट के सत्यापन हेतु अधिकार क्षेत्र होगा, चाहे करदाता को जीएसटी के उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार को आवंटित किया गया हो। ट्रांजिशनल क्रेडिट की सत्यापन प्रक्रिया कर अधिकारी, जिसके पास पूर्ववर्ती कानून के तहत कानूनी अधिकार क्षेत्र था और करदाता का अपेक्षित पिछला रिकॉर्ड भी है, द्वारा ही की जा सकती है।

83 जुलाई 2017 से पूर्व प्रभावी।

84 डी.ओ.एफ. सं.267/8/2018-सीएक्स.8 दिनांक 14 मार्च, 2018

वाणिज्यिक कर विभाग ने भी मौजूदा वैट/सीएसटी कानूनों के तहत अंतिम विवरणी के साथ ट्रान-1 के सत्यापन के संबंध में निर्देश जारी किए थे (अप्रैल 2018)<sup>85</sup>। राज्य सरकार ने भी राज्य कर अधिकारियों के साथ उन करदाताओं की सूची साझा की, जिन्होंने एसजीएसटी के तहत ₹ 25 लाख से अधिक आईटीसी का दावा किया था और जहाँ आईटीसी की राशि वैट अधिनियम, 2003 के तहत प्रस्तुत अंतिम विवरणी में दिखाई गई राशि से मेल नहीं खाती थी।

लेखापरीक्षा ने, विभाग से सत्यापन हेतु चयनित करदाताओं का विवरण, चयनित कुल करदाताओं की संख्या एवं सत्यापन हेतु निर्धारित की गयी समय सीमा प्रदान करने का अनुरोध किया (मई और जुलाई 2021) गया। लेखापरीक्षा को ये विवरण उपलब्ध नहीं कराये गये (दिसंबर 2021)।

चयनित वृत्तों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि लेखापरीक्षा के लिए चयनित 1325 ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों में से विभाग ने 459 मामलों<sup>86</sup> अर्थात् नमूनों के 34.64 प्रतिशत का सत्यापन किया। विभाग द्वारा सत्यापित 459 ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों में से, लेखापरीक्षा ने 86 मामलों में (18.73 प्रतिशत) और अनियमितताएं देखीं, जिनका विभाग द्वारा पता नहीं लगाया गया था।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2021)। समापन परिचर्चा के दौरान मुख्य आयुक्त (राज्य कर) ने लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार किया। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2021)।

#### **2.9.6.5 आवश्यक विवरणों के अभाव में ट्रांजिशनल क्रेडिट को स्वीकार किया जाना**

आरजीएसटी अधिनियम की धारा 140(1) के दूसरे प्रावधान के अनुसार, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 3, धारा 5(3), धारा 6, धारा 6क या धारा 8(8) से संबंधित किसी भी दावे के कारण क्रेडिट राशि, जो केंद्रीय बिक्री कर (रजिस्ट्रेशन एवं आवर्त) नियम, 1957 के नियम 12 में विहित रीति और अवधि के भीतर सिद्ध नहीं की गई हो, ईसीएल में जमा किये जाने की पात्र नहीं होगी। इसलिए, करदाताओं द्वारा ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों में आईटीसी की उस राशि का उल्लेख किया जाना आवश्यक था, जिसे एसजीएसटी के रूप में रिवर्स योग्य आईटीसी की राशि की कटौती के बाद दावा किया गया था।

आरजीएसटी नियमों का नियम 117(1) निर्धारित करता है कि धारा 140 के तहत आगत कर का क्रेडिट लेने के लिए पात्र प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म ट्रान-1 में घोषणा प्रस्तुत करेगा जिसमें पृथक रूप से आईटीसी की राशि, जिसके लिए उक्त धारा के प्रावधानों के तहत वह पात्र है, का उल्लेख करेगा।

85 संख्या एफ.17(134)एसीसीटी/जीएसटी/2018/3220, दिनांक 02 अप्रैल 2018

86 इसमें केंद्रीय क्षेत्राधिकार के 141 करदाता और राज्य क्षेत्राधिकार के 318 करदाता शामिल हैं।

(i) 94 चयनित वृत्तों के 1325 करदाताओं के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह देखा गया कि 77 वृत्तों के 644 करदाताओं<sup>87</sup> (48.60 प्रतिशत) के मामले में ट्रान-1 की तालिका 5(सी) में बकाया घोषणा प्रपत्रों (सी, एच एवं एफ) का विवरण जैसे बकाया घोषणा प्रपत्रों से संबंधित टर्नओवर, साथ ही देय अंतर कर राशि एवं बकाया घोषणा प्रपत्रों से संबंधित आईटीसी की रिवर्स करने योग्य राशि उपलब्ध नहीं थी। इन 644 करदाताओं में से, 114 करदाताओं (राज्य क्षेत्राधिकार से संबंधित 77 करदाता और केंद्रीय क्षेत्राधिकार के तहत 37 करदाता) के संबंध में ट्रांजिशनल क्रेडिट, कर प्राधिकारियों द्वारा सत्यापित किए गए थे। यद्यपि, विभाग त्रुटि का पता लगाने में विफल रहा।

(ii) लेखापरीक्षा जाँच में आगे पता चला कि छह वृत्तों<sup>88</sup> के नौ करदाताओं के संबंध में वैट की आईटीसी का शेष (पिछली विवरणी में) एवं बकाया घोषणा प्रपत्रों के टर्नओवर का उल्लेख ट्रान-1 में किया गया था, परंतु देय अंतर कर का उल्लेख नहीं किया गया था।

उपरोक्त मामलों में यह देखा गया कि विभाग ने करदाताओं से घोषणा प्रपत्रों का आवश्यक विवरण नहीं मांगा और जीएसटी पोर्टल ने भी इन कॉलमों को स्वाली छोड़े जाने के बाद भी ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों की अनुमति दी। इन विवरणों के अभाव में लेखापरीक्षा द्वारा ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में अग्रेषित आईटीसी की सही राशि को सत्यापित नहीं किया जा सका तथा आईटीसी के अनियमित अग्रेषण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2021)। सरकार ने बताया (दिसम्बर 2021) कि संबंधित वृत्त अधिकारियों को 338 मामलों में अनुपालना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं, 119 मामलों में नोटिस जारी किए गए, 24 मामलों में उचित जांच के बाद सूचित किया जावेगा, 52 मामलों में प्रकरण केंद्रीय कर प्राधिकारियों के ध्यान में लाया गया। 19 मामलों में संशोधन आदेश जारी किए गये और छह मामलों में ₹ 20.90 लाख की वसूली की गयी।

इसके अतिरिक्त, 86 मामलों में यह बताया गया कि वर्ष 2017-18 के लिए वैट निर्धारण के समय लंबित घोषणा प्रपत्रों का लाभ नहीं दिया गया था और इन 86 मामलों में से चार मामलों में यह बताया गया कि घोषणा प्रपत्रों के जमा किये जाने की नियत तिथि बढ़ा दी गयी है। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि लंबित घोषणा प्रपत्रों के संबंधित अंतर कर की कटौती के पश्चात ही ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया जाना था। यद्यपि, इन सभी मामलों में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि अंतर कर की कटौती ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों से की गई थी या नहीं। भले ही लंबित घोषणा प्रपत्रों के लाभ की अनुमति वैट निर्धारणों, जो ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ लेने के बाद किए गए थे, में नहीं दी गई हो, इन मामलों में ट्रांजिशनल क्रेडिट के अधिक राशि के दावों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

---

87 इसमें केंद्रीय क्षेत्राधिकार के 306 करदाता और राज्य क्षेत्राधिकार के 338 करदाता शामिल हैं।

88 वृत्त सी जयपुर, ई जयपुर, एल जयपुर, एम जयपुर, ए भिवाड़ी और बी भिवाड़ी।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने बताया (दिसंबर 2021) कि नौ मामलों के संबंध में जिनमें केवल आरोपणीय अंतर कर का उल्लेख नहीं किया गया था, संबंधित वृत्त अधिकारियों को अनुपालना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

(iii) एक करदाता<sup>89</sup> ने बकाया प्रपत्रों के टर्नओवर के विवरण का उल्लेख करने के अतिरिक्त, ट्रान-1 की तालिका 5 (सी) के कॉलम 4 में लंबित सी प्रपत्रों पर आरोपणीय ₹ 14.62 लाख के अंतर कर का उल्लेख किया। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि करदाता ने तालिका 5(सी) के कॉलम 7<sup>90</sup> में भी उतनी ही राशि का अनियमित रूप से उल्लेख किया था क्योंकि लंबित एफ प्रपत्रों से संबंधित टर्नओवर एवं देय अंतर कर के कॉलम क्रमशः 5 एवं 6 को खाली छोड़ दिया गया था। कॉलम 7 की गलत प्रविष्टि ने कॉलम 4 में उल्लिखित अंतर कर की राशि को आफसेट कर दिया, जिसके कारण कॉलम 4 में उल्लिखित लंबित सी प्रपत्रों पर देय अंतर कर ट्रांजिशनल क्रेडिट दावे से नहीं घटाया गया। जीएसटी पोर्टल ने भी कॉलम 5 और 6 में संबंधित प्रविष्टियों के अभाव में कॉलम 7 की प्रविष्टि को नहीं रोका। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.62 लाख का अधिक ट्रांजिशनल क्रेडिट दावा किया गया।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2021)। सरकार ने बताया (दिसम्बर 2021) कि संबंधित वृत्त अधिकारी को अनुपालना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

समापन परिचर्चा के दौरान अतिरिक्त आयुक्त ने तथ्यों को स्वीकार किया। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2021)।

#### **2.9.6.6 अंतिम स्टॉक पर ट्रांजिशनल क्रेडिट से संबंधित सूचना/दस्तावेजों की अनुपलब्धता**

आरजीएसटी अधिनियम की धारा 140 की उप-धारा (3), (4) और (6) के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत व्यक्ति अपने ईसीएल में नियत दिवस को वैट से सम्बंधित धारित स्टॉक पर इनपुट और स्टॉक में धारित अर्द्ध-निर्मित या निर्मित माल में अंतर्विष्ट इनपुट का क्रेडिट लेने के हकदार थे। पंजीकृत व्यक्तियों को निर्धारित प्रपत्र ट्रान-1 में विवरणी दाखिल करना आवश्यक था जिसमें तालिका 7(सी) इन उप-धाराओं के तहत पात्र करों के ट्रांजिशन को दर्शाती है।

करदाताओं द्वारा दाखिल ट्रान-1 की जांच के दौरान यह पाया गया कि सात वृत्तों<sup>91</sup> के 13 करदाताओं ने स्टॉक पर इनपुट और अर्द्ध-निर्मित या निर्मित माल में अंतर्विष्ट इनपुट के संबंध में नियत दिवस पर एसजीएसटी के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था। तथापि, लेखापरीक्षा में यह सत्यापित नहीं हो सका कि क्या करदाताओं ने वैट अधिनियम के तहत दाखिल विवरणियों<sup>92</sup> में इस स्टॉक पर आईटीसी का दावा किया था और उपरोक्त प्रावधानों में निर्धारित शर्तों के

89 वृत्त ई जयपुर से संबंधित।

90 लंबित एफ प्रपत्रों पर देय अंतर कर से संबंधित आईटीसी रिवर्सल।

91 वृत्त सी, ई और क्यू जयपुर, वृत्त ए और स्पेशल वृत्त 1, भीलवाड़ा, ए और सी बीकानेर।

92 वैट-10

अनुसार ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करने के पात्र थे क्योंकि इससे संबंधित सहायक सूचनाएं और अभिलेख, जैसे अंतिम स्टॉक का विवरण और सहायक बीजक, वृत्तों के पास उपलब्ध नहीं थे।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि इन मामलों में ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों को विभाग द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। आवश्यक सूचना/अभिलेख विभाग द्वारा सत्यापन के लिए मांगे जा सकते थे और इन अभिलेखों/सूचनाओं के अभाव में इन मामलों में दावों की सत्यता का पता नहीं लगाया जा सका और अनियमित ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2021)। सरकार ने बताया (दिसंबर 2021) कि पांच मामलों<sup>93</sup> में नोटिस जारी किए गए हैं, सात मामलों<sup>94</sup> में संबंधित वृत्त अधिकारियों को अनुपालना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और एक मामले<sup>95</sup> में उचित जांच के बाद जवाब दिया जाएगा। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2021)।

#### **2.9.6.7 नियत दिवस को या उसके बाद प्राप्त पूंजीगत माल/इनपुट के अप्रयुक्त आईटीसी का क्रेडिट**

आरजीएसटी अधिनियम की धारा 140 (2) के अनुसार एक पंजीकृत व्यक्ति नियत दिवस से ठीक पूर्ववर्ती दिवस को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपने ईसीएल में पूंजीगत माल की अप्रयुक्त आईटीसी, जो मौजूदा कानून के तहत प्रस्तुत विवरणी में अग्रेषित नहीं की गयी है, का ऐसी रीति से जो विहित की जाए से क्रेडिट लेने का हकदार होगा। इसके अतिरिक्त, आरजीएसटी नियमों के नियम 117 (2) में प्रावधान है कि धारा 140 की उप-धारा (2) के तहत दावे के मामले में, नियत दिवस पर पूंजीगत माल की प्रत्येक मद की आईटीसी के रूप में अर्थात् लाभ में ली गयी या उपयोजित की गयी या उपयोग में ली जाने वाली कर एवं शुल्क की राशि का विवरण पृथक से निर्दिष्ट किया जाना आवश्यक है। पंजीकृत व्यक्ति को ट्रांजिशनल क्रेडिट के तहत ट्रान-1 के कॉलम 6(बी) में ऐसी आईटीसी का दावा करना आवश्यक था।

इसके अतिरिक्त, आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 (5) में प्रावधान है कि एक पंजीकृत व्यक्ति नियत दिवस को या उसके बाद प्राप्त इनपुट के संबंध में अपने ईसीएल में वैट का क्रेडिट, यदि कोई हो, लेने का हकदार होगा, लेकिन जिसके संबंध में कर का भुगतान मौजूदा कानून के तहत आपूर्तिकर्ता द्वारा किया गया है, इस शर्त के अधीन कि उसके बीजक या कोई अन्य कर भुगतान संबंधी दस्तावेज को ऐसे व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में नियत दिवस से तीस दिनों की अवधि के भीतर लेखाबद्ध किया गया था। पंजीकृत व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र ट्रान-1 और ट्रान-1 की तालिका 7 (बी) में इस श्रेणी के तहत पात्र करों के ट्रांजिशन को दर्शाने के लिए विवरणी दाखिल करना आवश्यक था।

---

93 वृत्त सी जयपुर, वृत्त ए और स्पेशल वृत्त 1, भीलवाडा से संबंधित।

94 वृत्त ए बीकानेर, ई और क्यू जयपुर।

95 वृत्त सी बीकानेर।



करदाताओं द्वारा प्रस्तुत ट्रान-1 की जांच के दौरान यह देखा गया कि एक करदाता<sup>96</sup> ने पूंजीगत माल पर अप्रयुक्त एसजीएसटी क्रेडिट (ट्रान-1 की तालिका 6(ब)) के संबंध में एसजीएसटी ट्रांजिशनल क्रेडिट ₹ 52.40 लाख का दावा किया। इसके अतिरिक्त, दो वृत्तों<sup>97</sup> के दो करदाताओं ने नियत दिवस को या उसके बाद प्राप्त इनपुट पर एसजीएसटी क्रेडिट ₹ 29.44 लाख की राशि का दावा किया लेकिन जिसके संबंध में आपूर्तिकर्ता द्वारा मौजूदा कानून के तहत कर का भुगतान किया गया था (ट्रान-1 की तालिका 7(बी))।

तथापि, निर्धारित सूचना, जैसे सहायक बीजकों के साथ पूंजीगत माल और अंतिम स्टॉक का विवरण, वृत्तों के पास उपलब्ध नहीं थी क्योंकि इन ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों का सत्यापन वृत्तों द्वारा नहीं किया गया था। इसलिए लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सकी कि क्या पंजीकृत व्यक्ति उक्त प्रावधानों में निर्धारित शर्तों के अनुसार इन श्रेणियों के तहत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करने के पात्र थे।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2021)। सरकार ने बताया (दिसंबर 2021) कि संबंधित वृत्त अधिकारियों को अनुपालना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2021)।

#### **2.9.6.8 इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के साथ ट्रान-1 का मिलान नहीं होना।**

आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140(1) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति मौजूदा कानून के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी नियत दिवस से ठीक पूर्ववर्ती दिवस को समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित विवरणी में अग्रोषित की गयी वैट की राशि, यदि कोई हो, को विहित की जाने वाली रीति से अपने ईसीएल में जमा करने का हकदार होगा। पंजीकृत व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र ट्रान-1 में विवरणी दाखिल करना आवश्यक था जिसमें तालिका 5(सी) इस श्रेणी के तहत पात्र करों के ट्रांजिशन को दर्शाएगी।

एसएससीए के दौरान, यह देखा गया कि एक करदाता<sup>98</sup> ने 30 जून 2017 को समाप्त तिमाही के लिए राजस्थान वैट अधिनियम के तहत दाखिल विवरणी से अधिक आईटीसी का एसजीएसटी के रूप में ₹ 16.83 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया। तथापि, करदाता की ईसीएल में, संबंधित क्रेडिट प्रविष्टि ₹ 16.83 लाख के स्थान पर सिस्टम में ₹ 23.18 लाख उपलब्ध थे। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि ईसीएल में क्रेडिट/डेबिट प्रविष्टियाँ, ट्रान-1 की तालिका 5(सी) में दावा की गयी आईटीसी और उसमें किसी भी संशोधन के अनुरूप है। तथापि, इस मामले में, ट्रान-1 में घोषित राशि का जीएसटी पोर्टल द्वारा ईसीएल में उपलब्ध शेष राशि के साथ मिलान नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ईसीएल में ₹ 6.35 लाख का अधिक क्रेडिट हुआ।

96 विशेष वृत्त II, उदयपुर से संबंधित।

97 विशेष वृत्त II, उदयपुर और वृत्त ई जयपुर से संबंधित।

98 वृत्त ई जयपुर से संबंधित।



प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2021)। सरकार ने बताया (दिसंबर 2021) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया है। समापन परिचर्चा के दौरान, अतिरिक्त आयुक्त ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2021)।

#### **2.9.6.9 ट्रांजिशनल क्रेडिट के लिए जीएसटी पोर्टल पर प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) का अभाव**

एमआईएस आंतरिक नियंत्रण तंत्र का एक महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि यह सम्बंधित अधिकारियों को समय पर और नियमित रूप से आवश्यक, उचित और सटीक जानकारी सूचित करने का कार्य करता है जो उन्हें प्रगति/ स्थिति का मूल्यांकन करने में मदद करता है और इस प्रकार एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का आधार बनता है।

एसएससीए के दौरान, 94 चयनित वृत्तों में लेखापरीक्षा द्वारा ट्रान-1 दाखिल करने वाले करदाताओं की संख्या, एसजीएसटी के रूप में दावा किए गए कुल ट्रांजिशनल क्रेडिट और विभाग द्वारा जांच किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों की संख्या आदि जैसी सूचनाये मांगी गई थी। 71 वृत्तों के संबंधित क्षेत्राधिकारियों द्वारा जीएसटी बोवेब पोर्टल<sup>99</sup> पर उचित एमआईएस की कमी का कारण बताते हुए केवल सीमित सूचनाये प्रदान की गई। शेष 23 वृत्तों ने वृत्तों के स्तर पर संकलित सूचनाओं के आधार पर आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी। तथापि, किसी भी सहायक दस्तावेज के अभाव में, इन वृत्तों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं की सत्यता का पता नहीं लगाया जा सका। यह भी देखा गया कि विभाग ने ऐसी मूलभूत सूचनाओं के संकलन के लिए निर्देश या सामान्य प्रारूप जारी नहीं किया था।

ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों से संबंधित मूलभूत सूचनाओं के उचित एमआईएस का अभाव कुशल कार्यप्रणाली और प्रभावी अनुश्रवण हेतु महत्वपूर्ण सूचनाओं के एकत्रीकरण और रिपोर्टिंग की कमी को दर्शाता है।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2021)। सरकार ने बताया (दिसंबर 2021) कि राजस्थान मॉडल-2 राज्य होने के कारण, पोर्टल पर सेवाओं को केवल जीएसटीएन द्वारा ही जोड़ा या सृजित किया जा सकता है। समापन परिचर्चा के दौरान सचिव (वित्त) ने स्वीकार किया कि यह बहुत ही मूलभूत सूचना थी जो पोर्टल पर उपलब्ध होनी चाहिए थी।

*(संदर्भ परिशिष्ट 2.20 और 2.21)*

#### **2.9.7 निष्कर्ष**

लेखापरीक्षा ने 2017-18 के लिए वैट आदेशों के निर्धारण और ट्रांजिशनल क्रेडिट के सत्यापन में अंतर देखा, जिसके परिणामस्वरूप बहुत से प्रकरणों में जीएसटी व्यवस्था में अग्रेषित की गई

99 बोवेब, जीएसटीएन द्वारा कर प्राधिकारियों के लिए उपलब्ध कराया गया बैक-ऑफिस पोर्टल है।

आईटीसी पिछली विवरणी और निर्धारण/संशोधन आदेशों के अनुसार अग्रेषित की जाने के लिए उपलब्ध आईटीसी से अधिक थी।

लेखापरीक्षा में प्रणालीगत मुद्दे भी पाये गये जैसे आवश्यक विवरणों के बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट को स्वीकार किया जाना, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के साथ ट्रान-1 का मिलान नहीं होना आदि। इसके अतिरिक्त, ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के सत्यापन की पद्धति सहित आंतरिक नियंत्रण तंत्र में भी कमियां थीं।

### 2.9.8 अनुशंसा

लेखापरीक्षा द्वारा सामने लाई गई अनियमितताओं जैसा कि पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में बताया गया है, पर अपेक्षित कार्रवाई के अलावा राज्य सरकार को वर्ष 2017-18 के लिए सभी वैट निर्धारण/संशोधन आदेशों की अविलंब जांच करने की आवश्यकता है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या जीएसटी व्यवस्था (ट्रान-1) में अधिक ट्रांजिशनल क्रेडिट अग्रेषित किया गया था। इसके अतिरिक्त, विभाग जीएसटी कानूनों के बेहतर अनुपालन और राजस्व रिसाव को रोकने के लिए वृत्तों द्वारा किए गए सत्यापन में त्रुटियों को कम करने हेतु आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठा सकता है। विभाग ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों से संबंधित मूलभूत सूचनाओं की उचित रिपोर्ट/एमआईएस की उपलब्धता की सुविधा भी प्रदान कर सकता है और जीएसटीएन के साथ मामले का अनुसरण कर जीएसटी पोर्टल पर सुसंगत सत्यापन जांच के माध्यम से प्रणालीगत कमियों को दूर कर सकता है।

### 2.10 आगत कर जमा (आईटीसी) का अधिक अग्रेषण

निर्दिष्ट वृत्तों में नमूना मामलों हेतु किये गये एसएससीए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, के अलावा भी लेखापरीक्षा ने एक प्रकरण देखा जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

#### 2.10.1 जीएसटी-पूर्व व्यवस्था के तहत उपलब्ध आईटीसी को सत्यापित करने में विफलता के परिणामस्वरूप करदाताओं को अधिक ट्रांजिशनल क्रेडिट प्राप्त होना

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 140(1) के अनुसार, धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करने का विकल्प देने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न कोई पंजीकृत व्यक्ति, मौजूदा कानून के अन्तर्गत उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी, नियत दिवस से ठीक पूर्ववर्ती दिवस को समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित विवरणी में अग्रेषित वैट की राशि, यदि कोई हो, को विहित की जाने वाली रीति से ईसीएल में जमा करने का हकदार होगा।

चार वृत्तों<sup>100</sup> के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच (जून 2020 से नवंबर 2020 के बीच) से पता चला कि 15 करदाताओं ने उनके द्वारा प्रस्तुत विवरणियों के आधार पर जीएसटी-पूर्व व्यवस्थाओं से अग्रेषित आईटीसी के समक्ष ट्रान-1 में एसजीएसटी राशि ₹ 2.94 करोड़ का दावा किया।

100 वृत्त डब्ल्यूटी-अजमेर, स्पेशल- I, III और VIII जयपुर।

इन करदाताओं के कर निर्धारण अभिलेखों की जांच से पता चला कि 14 करदाताओं के मामले में, वैट/सीएसटी निर्धारणों (वर्ष 2017-18 के लिए) के अनुसार वैट के तहत अधिक आईटीसी अग्रेषित किए जाने हेतु उपलब्ध नहीं थी, एवं इसके स्थान पर जीएसटी-पूर्व व्यवस्था के तहत राशि ₹ 1.38 करोड़ की मांग उनके विरुद्ध बकाया थी। शेष मामले में, करदाता ने जीएसटी-पूर्व व्यवस्था के तहत दाखिल विवरणी में ₹ 1.41 करोड़ के एसजीएसटी ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था। तथापि, कर निर्धारण आदेशों के अनुसार केवल ₹ 0.46 करोड़ अधिक आईटीसी के रूप में उपलब्ध थे जिन्हें अग्रेषित किया जाना था।

क्षेत्राधिकारियों ने बताया कि आठ करदाताओं के मामले में ट्रांजिशनल क्रेडिट सत्यापित किए गए थे। तथापि, क्षेत्राधिकारी इन मामलों में अनियमितताओं का पता लगाने में विफल रहे। शेष सात मामलों में, ट्रांजिशनल क्रेडिट को सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण आईटीसी की राशि ₹ 2.48 करोड़ का अधिक अग्रेषण किया गया था।

विभाग एवं राज्य सरकार को चूक के बारे में अवगत कराया गया (सितम्बर 2021)। सरकार ने जवाब दिया (नवम्बर 2021) कि चार मामलों<sup>101</sup> में ₹ 0.17 करोड़ की आईटीसी की राशि रिवर्स/वसूल कर ली गई जबकि चार मामलों<sup>102</sup> में पिछले वर्षों के कर निर्धारण में संशोधन के साथ एक मामले में ₹ 0.01 करोड़ की वसूली की गई। एक मामले<sup>103</sup> के संबंध में सरकार ने बताया कि करदाता ने छूट प्रमाण पत्र के तहत निष्पादित निर्माण कार्य अनुबंध में उपयोग किए जाने वाले स्टॉक में रखे इनपुट के लिए आईटीसी का दावा किया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि करदाता द्वारा दाखिल ट्रान-1 की जांच से पता चला कि करदाता ने स्टॉक में रखे इनपुट से संबंधित तालिका 7 सी में शून्य राशि दर्शाई थी। सरकार ने यह भी बताया कि शेष मामलों में नोटिस जारी किए गए थे। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2021)।

---

101 वृत्त डब्ल्यू टी अजमेर, और स्पेशल -III जयपुर से संबंधित

102 वृत्त स्पेशल -I एवं III जयपुर से संबंधित।

103 वृत्त डब्ल्यू टी अजमेर से संबंधित।